UPME010099762014

UPME010056712017

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, मेरठ।
उपस्थितः कल्पना चौहान (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP03847
01:–सत्र परीक्षण संख्याः 763/2012

राज्य प्रति 1–श्रीमती पूनम पत्नी स्व0 धर्मपाल,
मु0अ0सं0–203/2012,
धारा–376 सपठित धारा 120बी तथा 201 भा0दं0सं0
थानाः मवाना, जिलाः मेरठ।
2– सीटू उर्फ सुखपाल पुत्र मानसिंह,
निवासीगण–ग्राम भिंडवारा, थाना–मवाना, जिला–मेरठ।
मु0अ0सं0–203/2012,
धारा–364, 376 सपठित धारा 511, 302, 201 भा0दं0सं0
थानाः मवाना, जिलाः मेरठ।

02:–सत्र परीक्षण संख्याः 592/2017

राज्य प्रति अनिल पुत्र जगवीर
निवासी–ग्राम भिंडवारा, थाना–मवाना, जिला–मेरठ।
मु0अ0सं0–203/2012,
धारा–364, 376 सपठित धारा 511, 302 सपठित धारा 34, 201, 120 बी भा0दं0सं0
थानाः मवाना, जिलाः मेरठ।

उपस्थित अधिवक्तागण

राज्य की ओर से – श्री मोहित गुप्ता–सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता – श्री संजीव कुमार एडवोकेट

निर्णय

1– उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित हैं और दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण एक ही साक्ष्य से किया जाना है। अतः सुविधा तथा न्याय की दृष्टि से उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–763/2012 में अभियुक्ता श्रीमती पूनम का विचारण

भारतीय दण्ड संहित की धारा–376 सपठित 120बी तथा 201 के अधीन तथा अभियुक्त सीटू उर्फ सुखपाल का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–364, 376 सपठित धारा 511, 302, 201 के अधीन एवम् सत्र परीक्षण संख्या–592/2017 में अभियुक्त अनिल के विरूद्ध थाना–मवाना, जिला–मेरठ द्वारा प्रेषित आरोप पत्र क्रमशः **प्रदर्श क–5** के आधार पर किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या–592/2017 में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19–04–2013 के अनुसार अभियुक्त धर्मसिंह के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी थी। सत्र परीक्षण संख्या–592/2017 में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02–01–2020 के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–592/2017 को समेकित करते हुए सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–763/2012 को लीडिंग केस मानते हुए कन्सोलीडेट किया गया है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा मुन्दर पुत्र कान्ति प्रजापति, निवासी–ग्राम भिंडवारा, थाना मवाना, जिला मेरठ द्वारा लिखित तहरीर दिनांकित 12–03–2012 के द्वारा थाना मवाना, जिला मेरठ पर इस आशय की **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1** दर्ज करायी गयी कि, वादी की लड़की दिनांक 04–03–2012 की शाम 3:00 बजे घर से बाहर खेलती हुई गुम कर ली गयी। काफी तलाश के बावजूद नहीं मिली। दिनांक 06–03–2012 को गांव की पूनम पत्नी धर्मसिंह ने उसे बताया कि उसकी लड़की को सीटू पुत्र मानसिंह लेकर गया था परन्तु उसके पति से मत बताना ताकि उसका पति उसके साथ मारपीट न करे और बाकी बात सीटू बतायेगा कि कौन उसके साथ था। यह बात पूनम पत्नी धर्मसिंह ने कही फिर उन्हें पता चला कि उनकी लड़की की धर्मसिंह पुत्र भोलर, पूनम पत्नी धर्मसिंह, अनिल मावी पुत्र जगवीर तथा सीटू पुत्र मानसिंह ने हत्या करदी। वादी द्वारा उक्त तहरीर जितेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र से लिखवाकर थाने पर दी गयी थी।

4– वादी द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर थाना मवाना, जिला मेरठ पर अभियुक्तगण धर्मसिंह पुत्र भोलर, श्रीमती पूनम पत्नी धर्मसिंह, अनिल मावी तथा सीटू उर्फ सुखपाल के विरूद्ध प्रदर्श क–9 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–203/2012, धारा–302, 364,201 भा0दं0सं0 किता की गयी तथा मामले का खुलासा प्रदर्श क–3 नकल रपट रोजनामचा आम संख्या–31 समय 11:30 दिनांक 12–03–2012 को किया गया तथा दौरान विवेचना दिनांक 12–03–2012 को गांव के पश्चिम दिशा में स्थित कुँए से मृतका की लाश एक प्लास्टिक के कट्टे में बरामद की थी। जिसकी शिनाख्त परिजनों द्वारा मृतका प्रीति के रूप में की गयी थी। पंचान नियुक्त कर शव का पंचायनामा तैयार किया गया तथा शव को सफेद कपड़े में सील कर सर्वे मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा पोस्टमार्टम से सम्बन्धित कागजात पंचायतनामा, नकल चिक, नकल रपट, चालान नाश, फोटो नाश, रिपोर्ट आर0आई0, रिपोर्ट सी0एम0ओ0, नमूना मुहर, रिपोर्ट बलात्संग तैयार कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया। दौरान विवेचना नक्शा नजरी घटनास्थल, नक्शा नजरी बरामदगी स्थल

तैयार किये गये तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण धर्मसिंह, श्रीमती पूनम तथा सीटू उर्फ सुखपाल के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–362, 302, 301, 376/511, 120बी भा0दं0सं0 के अधीन विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त अनिल के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। दिनांक 11–02–2013 को अभियुक्त अनिल के विरूद्ध मफरूरी में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–302, 364, 201, 376 सनठित धारा 511, 120बी भा0दं0सं0 के अधीन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।

5– उक्त आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिनांक 07–08–2012 को अभियुक्तगण धर्मसिंह, श्रीमती पूनम तथा सीटू उर्फ सुखपाल के विरूद्ध मामला भा0दं0सं0 की धारा–302, 364, 201, 376/511, 120बी के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए मामाला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया तथा दिनांक 20–06–2017 को अभियुक्त अनिल के विरूद्ध मामला अन्तर्गत धारा– 302, 364, 201, 376/511, 120बी भा0दं0सं0 सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त माननीय सत्र न्यायालय के अन्तरण आदेश दिनांकित 09–10–2018 के द्वारा उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुए।

6– दौरान विचारण सत्र परीक्षण संख्या–592/2017 में अभियुक्त धर्मसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित 19–04–2013 पारित करते हुए अभियुक्त धर्मसिंह के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

7– तत्पश्चात् दिनांक 16–05–2013 को अभियुक्ता पूनम के उपस्थित आने पर पूर्वाधिकारी द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा–376/120बी तथा 201 भा0दं0सं0 के अधीन, अभियुक्त सीटू उर्फ सुखपाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–364, 376/511, 302 तथा 201 भा0दं0सं0 के अधीन, एवं दिनांक 01–03–2019 को अभियुक्त अनिल के उपस्थित आने पर पूर्वाधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–364, 376/511, 302/34, 201 तथ 120बी भा0दं0सं0 के अधीन आरोप विरचित किये गये। जिनसे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

8– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

क्रम संख्या	साक्षी संख्या	नाम साक्षी	साक्षी का प्रकार
1.	पी0डब्लू0–1	मुंदर	वादी मुकदमा
2.	पी0डब्लू0–2	मांगेराम	गवाह
3.	पी0डब्लू0–3	राजकुमार	गवाह

4.	पी0डब्लू0–4	रकमसिंह	गवाह
5.	पी0डब्लू0–5	अशोक कुमार	एफ0आई0आर0 लेखक
6.	पी0डब्लू0–6	संजीव गुप्ता	चिकित्सक
7.	पी0डब्लू0–7	सुरेन्द्र कुमार	गवाह
8.	पी0डब्लू0–8	राजपाल सिंह	विवेचक
9.	पी0डब्लू0–9	धर्मेन्द्र कुमार	पंचायतनामा का साक्षी
10.	पी0डब्लू0–10	सोमवीर सिंह	विवेचक

9– अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया, जो निम्न प्रकार से हैः

क्रमांक	**विवरण दस्तावेज**	**साक्षी जिसके द्वारा साबित किया गया**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर	पी0डब्लू0–1वादी मुकदमा मुन्दर	क–1
2.	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–5अशोक कुमार	क–2
3.	जी0डी0 की कार्बन प्रति	"	क–3
4.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका	पी0डब्लू0–6 डा0संजीव गुप्ता	क–4
5.	आरोप पत्र धर्मसिंह, पूनम व सीटू उर्फ सुखपाल	पी0डब्लू0–8राजपाल सिंह निरीक्षक क्राईम ब्रांच	क–5
6.	पंचायतनामा	पी0डब्लू0–9 धर्मेन्द्र कुमार	क–6
7.	रिपोर्ट आर0आई0	"	क–7
8.	रिपोर्ट सी0एम0ओ0	"	क–8
9.	फोटो प्रति चिक एफ0 आई0आर0	"	क–9
10.	फोटो लाश	"	क–10
11.	चालान लाश	"	क–11
12.	नमूना मुहर	"	क–12
13.	नक्शा नजरी घटनास्थल	पी0डब्लू0–10 विवेचक सोमवीर सिंह	क–13

10– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए, साक्षीगण द्वारा गलल बयान देने का कथन किया है। गलत एफ0आई0आर0 किता करने का

कथन करते हुए पोस्टमार्टम के सम्बन्ध में कुछ न कहने का कथन किया गया है। साक्षीगण द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने, गलत विवेचना करने तथा अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है और यह भी कथन किया गया है कि असल मुलजिम ब्रहमपाल को बचाने के लिये अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त अनिल की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

11– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

12– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, वादी द्वारा पुत्री की हत्या की प्राथमिकी उसका शव बरामद होने के उपरांत तत्काल रूप से अभियुक्तगण धर्मसिंह, पूनम, अनिल तथा सीटू को नाजद करते हुए थाना मवाना, जिला मेरठ पर दर्ज करायी गयी है जिसके उपरान्त मृतका के शव का पंचायतनामा भरा गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पंचायतनामा में पंचों ने अपनी राय में मृतका की हत्या उसके गले में रस्सी का फंदा लगाकर बोरी में भकर कुएॅं में डालने से होना व्यक्त किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा बलात्कार की संभावना को व्यक्त करते हुए लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सक ने मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटने से होना बताया है जो अभियोजन पक्ष का समर्थन करता है। अभियुक्तगण द्वारा गवाहान राजकुमार तथा सुरेन्द्र सिंह के समक्ष अपना न्यायिकेत्तर संस्वीकृत साक्ष्य दिया गया है और कथन किया गया है उनसे गलती हो गयी है। उनके नाम एफ0आई0आर0 से निकलवा दो। उक्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियों को गवाहान द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से जोड़ा गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया अभियोग सन्देह से परे साबित किया गया है। तदनुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी।

13– इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि, वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 मृतका का पिता है परन्तु वह इस मामले का चक्षुसाक्षी नहीं है, उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका का शव बरामद होने के बाद दर्ज करायी गयी है जिसमें अभियुक्तगण को नामजद किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा जिन गवाहों राजकुमार तथा सुरेन्द्र कुमार के समक्ष न्यायिकेत्तर साक्ष्य देना और अपना जुर्म स्वीकार करना बताया है। उक्त दोनों ही गवाह वादी मुन्दर के रिश्तेदार हैं जिस कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। वादी द्वारा स्वंय यह स्वीकार किया गया है कि उसके चार बच्चे थे जिसमें मृतका उसकी सबसे छोटी बेटी थी परन्तु फिर भी वादी अपनी पत्नी तथा तीनों पुत्रों को लेकर बाजार चला गया था और अपनी एममात्र

सबसे छोटी पुत्री को घर पर छोड़ गया था जिसे किसी के संरक्षण में भी सुपुर्द नहीं किया था। तथ्य के जो भी साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये हैं वह सभी वादी के रिश्तेदार हैं और हितबद्ध साक्षी हैं। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364, 302, 376/511, 201, 120बी भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जबकि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना मृतका के वैजाईना से ली गयी स्लाईड को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर जॉच भी नहीं करायी गयी और न ही ऐसी कोई जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध 376/511 भा0द0स0 का अपराध साबित होता हो। स्वंय चिकित्सक साक्षी द्वारा भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि पीड़िता के गले पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई चोट का निशान नहीं था। अभियेाजन की ओर से परीक्षित तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा न तो अभियुक्तगण द्वारा मृतका को साथ ले जाते देखा गया, न ही कोई घटना कारित करते देखा गया और न ही कट्टे को कुऍ में डालते देखा गया था। जिस साक्षी संजीव पुत्र केशोराम द्वारा वादी को फोन पर यह सूचना दी गयी थी कि उसकी लडकी की लाश कुऍ में कट्टे में बंद पड़ी है तो उसे यह जानकारी कैसे हुई कि वह लाश मृतका की ही थी। उक्त साक्षी संजीव पुत्र केशोराम को अभियोजन की ओर से न्यायालय में परीक्षित न कराया जाना भी मृतका के शव की बरामदगी को संदिग्ध बनाता है। मात्र अभियुक्तगण द्वारा की गयी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अन्य जो साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये हैं वह मात्र औपचारिक साक्षी हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष, प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता पूनम के विरूद्ध धारा– 376/120बी तथा 201 भा0दं0सं0, अभियुक्त सीटू उर्फ सुखपाल के विरूद्ध धारा–364, 376/511, 302 तथा 201 भा0द0सं0 एवम् अभियुक्त अनिल के विरूद्ध धारा–364, 376/511, 302, 201 तथा 120बी भा0दं0सं0 का आरोप सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण लगाये गये अभियोग से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

14– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले में निम्न अवर्धाय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:–

1:–क्या दिनांक 04–30–2012 को समय करीब 3:00 बजे शाम, अभियुक्तगण ने आपस में षड़यन्त्र करके वादी मुकदमा मुंदर के घर से उसकी अवयस्क पुत्री/मृतका का अपहरण बलात्कार अथवा हत्या किये जाने के आशय से किया गया और उसके साथ बलातकार का प्रयास किया जिसमें सफल न होने पर वादी मुंदर की पुत्री की गला घोंटकर हत्या करदी तथा हत्या का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को बोरी में बांधकर कुऍ में डाल दिया?

2:–यदि अवधार्य प्रश्न संख्या–1 का उत्तर सकारात्मक आता है तो अभियुक्तगण

को क्या दण्ड देना उचित होगा ?

15— **–: निष्कर्ष :–**

अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियेाजन की ओर से बतौर **पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा मुंदर** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, दिनांक 04–30–2012 को उसकी लड़की/मृतका दोपहर करीब 3:00 बजे घर के बाहर खेलती हुई गुम हो गयी थी जिसे आस पास व जानने वालों में तलाश किया, नहीं मिली। अगले दिन 05–03–2012 को उसके पिता कान्ती ने थाना मवाना में उसकी लड़की की गुमशुदगी लिखायी थी। तलाश करते समय विशाल ने बताया कि उसकी लड़की खेलते समय धर्मसिंह के घर की तरफ गयी थी। राजकुमार व मांगे ने बताया था कि उसकी लड़की धर्मसिंह के घर पर देखी थी जहॉ धर्मसिंह के घर पर धर्मसिंह, अनिल, सीटू व पूनम भी थे और एक कार धर्मसिंह के मकान के बाहर खड़ी थी। जब उसने पूछताछ की तो उक्त गाड़ी वहॉ नहीं थी और न ही उसकी लड़की वहॉ थी। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, दिनांक 06–03–2012 को पूनम ने उसे बताया कि वह उसकी लड़की के बारे में उसे बता देगी परन्तु यह बात उसके पति को मत बताना नहीं तो उसका पति उसके साथ मारपीट करेगा। उनकी लड़की को सीटू ले गया है बाकी बातें सीटू ही बतायेगा। मालूमात की नहीं बताया। फिर पता चला कि उनकी लड़की को धर्मसिंह, सीटू, अनिल व पूनम ने मिलकर मार दिया। उसने घटना की रिपोर्ट गांव के जितेन्द्र से लिखवाकर सुनकर अंगूठा लगाकर थाने पर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर पर अपने अंगूठे की तसदीक करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

15अ— जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि, उसके पिता अभी जिंदा है स्वस्थ हैं। वे पॉच भाई हैं दो बहने हैं। घटना के समय वे गांव में रहते थे। अब गांव में नहीं रहते। धर्मसिंह का मकान उनके घर से 25–30 मीटर की दूरी पर होगा। धर्मसिंह व उनके घर के बीच में चार घर हैं और दो दुकान परचून की हैं। उसका व धर्मसिंह का घर गांव में लगभग बीच में है। धर्मसिंह के मकान के बराबर में ब्रहमपाल का मकान है जिसमें मियॉ बीबी रहते हैं। उससे दो मकान छोड़कर उसके पिता का मकान है जिसमें उसके माता पिता व एक भाई बहन रहते थे फिर उसका मकान है। धर्मसिंह के मकान सामने उसके भतीजे सेवा का घर है जिसमें पॉच लोग रहते थे। सामने से उसकी तरफ कृष्णपाल का मकान है। उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं नहीं बता सकता। बड़ा परिवार है। जितने भी घर हैं सभी किसानों के घर हैं जिसमें जानवर भी पलते हैं। जिस दिन उसकी लड़की गुम हुई थी उस दिन वह अपनी पत्नी व तीनों बच्चों के साथ मवाना के बाजार गया था। उस दिन मौसम सही था धूप निकली थ।उन दिनों सर्दी के दिन थे। जब वे लोग गये थे तब दोनों परचून की दुकानें बंद थी। इनका खुलने का कोई समय

नहीं है घर में दुकान हैं। उनका जब मन चाहे दुकान खोल लेते हैं। यह कहना गलत है कि उपरोक्त दोनेां दुकानें उस दिन खुली हुई हों और आज वह न्यायालय में गलत बयानी कर रहा हो। उसके घर से 100–150 मीटर की दूरी पर उनका एक घेर है जिसमें वे जानवर बांधते हैं। उसके घेर से जहॉ उसकी बेटी की लाश मिली थी 20–25 मीटर दूर है 2–3 मकान बीच में होंगे और उनके गांव के प्रधान की ट्यूबबैल भी उससे मिली है। इस कुएॅ से लोग पानी नहीं लेते हैं। यह कुऑ पिछले काफी समय से बंद है। कुएॅ की गहराई 6–7 फिट की रही होगी। जहॉ कुएॅ के पास लड़की की लाश मिली वहॉ पर आस पास आबादी है। उसकी बेटी की लाश विनोद हरिजन की पत्नी व अन्य लोगों ने भी देखी थी। उसके पास फोन आया था कि उसकी लड़की की लाश कुएॅ में पड़ी है, फौरन आ जाओ। वे काफी सारे लोग इकट्ठा होकर करीब फोन के एक डेढ़ घंटा बाद वहॉ कुएॅ पर पहुॅचे थे। फिर कहा जब पुलिस ने लाश निकाली थी तब वे कुएॅ पर पहुॅचे थे तथा पहचान की थी। लाश बाहर कुएॅ से निकली थी। लड़की की लाश सिर कुएॅ की तरफ था पैर पहाड़ की ओर थे। लड़की ने सूट पहना था सलवार निकली हुई थी। चप्पल व सलवार सिर पर रखी थी। वहॉ मौके पर कई गाड़ी पुलिस की थीं। पुलिस उसे साथ लेकर गयी थी तथा लाश ट्राली में गयी थी। लड़की की लाश सफेद कपड़े में रखकर सी कर ट्राली में रखकर ले गये थे। लाश को मैडिकल भेजा था। उसके बाद वे मोटर साईकिलों पर मिन्टू, मांगे व सुरेन्द्र के साथ थाने गये थे। वे उससे पहले भी थाने गये थे। वे जैसे ही लाश की सूचना मिली तो पहले थाने रिपोर्ट करने गये फिर लाश को देखने गये। संजीव पुत्र केशोराम का फोन दोपहर डेढ़ बजे दिन में उसकी लड़की की लाश के बारे में उसके पास आया था। उसके घर वालों ने लड़की को पहचान लिया था। वह फोन आने के बाद सीधा थाने चला गया। उसके साथ उसका साला सुरेन्द्र, धर्मपाल व मांगे था। वे सभी दो मोटर साईकिलों से थाने गये थे। वे सवा दो–ढाई बजे के करीब थाने गये थे। उनसे पहले कुछ पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुॅच गये थे। वे भी तुरन्त ही 10–15 मिनट बाद थाने से घटनास्थल को चल दिये थे। जिस मोटर साईकिल से गये थे उसी से वापिस घटनास्थल आ गये थे। एस0ओ0 साहब थाना इंचार्ज से उनकी बात हुई थी। इंचार्ज साहब ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट लिखदी है डैड बॉडी आ जायेगी तो रिपोर्ट ले जाना। उस समय उसे कोई चिक नहीं दी थी। यह रिपोर्ट उसने जितेन्द्र पुत्र सुन्दरपाल से बोलकर थाने पर ही लिखायी थी। कागज पुलिस वालों से लिया था पैन जितेन्द्र के पास था। पुलिस लाश को लेकर मैडिकल चली गयी थी। वह वापिस थाने आ गया था रिपोर्ट लेने के लिये। वह पढ़ा लिखा नहीं है। थाने पर कोई लिखा पढ़ी हुई थी या नहीं हुई थी, उसे नहीं पता। थाने पर सभी पुलिस वाले मौजूद थे उन लोगों ने उससे कहा था कि अभी 10–15 मिनट रूक जाओ अभी रिपोर्ट देते हैं। फिर उसे रिपोर्ट दे दी थी। इसके अलावा उसकी कोई बात नहीं हुई थी। घटनास्थल से शाम को लौटे थे तब तक अंधेरा नहीं हुआ था। घटनास्थल पर करीब एक डेढ़ घंटा या दो घंटे लगे होंगे। जब लड़की का पंचायतनामा भरा गया था तो उस पर उसका अंगूठा लगवाया था। पंचायतनामा देखकर

गवाह ने कहा कि इस पर उसका अंगूठा नहीं है। पंचान के नाम सुनकर गवाह ने कहा कि इसमें उसका नाम नहीं है और इसमें उसके पिताजी भी पंच नहीं थे। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया कि, वह पंचायतनामे की कार्यवाही के समय वहॉ मौजूद न हो और पंचायतनामा घटनास्थल पर न भरके थाने पर भरा गया हो। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, एफ0आई0आर0 में आखिरी लाईन में धर्मसिंह, पूनम, अनित व सीटू के नाम लिखे थे जबकि आगे इन तीनों ने उसकी लड़की की हत्या करदी है, लिखा है, उसने चारों के नाम बताये थे तीनों का मारना लिखा है वह इसका कारण नहीं बता सकता। पूनम ने उसकी लड़की को सीटू के द्वारा लेकर जाने वाली बात उसके घर पर उसके परिवार वालों के सामने व सलज व साले के सामने बतायी थी। दिन छिपने के बाद यह बात बतायी थी। पूनम ने यह बात घर परिवार में बताने से पहले उसे बतायी थी। जिस दिन उनकी लड़की गुम हुई उन्हें लौटने में दिन छिप गया था। वह लड़की को घर पर छोड़कर गया था बड़ा घर है वह घर पर ही खेलती रहती थी। वह लड़की को सुपुर्दगी में छोड़कर नहीं गया था। उन्हें लड़की के गुम होने का पता उन्हें घर पहुॅचने के साथ ही चल गया था क्योंकि उसकी ढूंढवार पहले से चल रही थी। उसने ढूंढने की शुरूआत अपने घरों में देखकर खेतों आदि में की थी। वह अपने घरों के अलावा किसी ओर के घर नहीं गया था। अगले दिन उसके पिता ने किसके साथ जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखायी थी उसे नहीं पता। उसने तहरीर में विशाल, राजकुमार तथा मांगे द्वारा लड़की के बारे में बतायी गयी बात नहीं लिखवाई थी। उसने दरोगा जी को मांगे व राजकुमार वाली बात बतादी थी यदि उन्होने नहीं लिखी है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने चार तारीख को मवाना थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। विशाल उसका सगा भतीजा है। विशाल ने 04–03–2012 को ही उसे बता दिया था कि उसकी लड़की धर्मसिंह के मकान की तरफ गयी थी। धर्मसिंह और पूनम अपने घर में दारू बेचते थे परन्तु ये बात उसने पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बतायी थी। साक्षी ने जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, राजकुमार व मांगे ने बताया था कि उसकी लड़की धर्मसिंह के घर गयी थी और उसके घर के बाहर एक सफेद रंग की कार खड़ी थी जब उसने पूछताछ व ढूंढ की तो धर्मसिंह के घर पर कोई नहीं था और न गाड़ी थी। घटना वाले दिन वह अपने घर के कमरों को बंद और मेन गेट खुला छोड़कर गये थे। उसका खेत जहॉ कुएॅ में बच्चे की लाश मिली थी पूनम के घर से अलग दिशा में है। जब वे बाजार से वापिस आये तो बच्ची की ढूंढ मच रही थी। यह पूछने पर कि लोगों को बच्ची के गुम होने की जानकारी कैसे हुई तो गवाह ने कहा कि, बच्चों ने आपस में बताया था कि बच्ची नहीं मिल रही है। उसे नहीं पता कि बच्चों ने उसके घर के किस व्यक्ति को लड़की के गायब होने की बात बतायी थी। उसे किसी ने नहीं बताया कि उसकी लड़की अकेले बाहर चौराहे पर खेल रही थी। वह चौराहा नहीं तिराहा है जिस पर परचून की दुकान है। यह सही है कि उसकी लड़की किसी चौराहे पर नहीं तिराहे पर खेल रही थी। उसके भतीजे ब्रहमपाल के घर में ब्रहमपाल व उसकी पत्नी रहते हैं उनके घटना

के समय से आज भी कोई औलाद नहीं है। यह भी सही है कि उसके भजीजे ब्रहमपाल को पुलिस इस केस में उठाकर ले गयी थी और अगले दिन लाश मिलने पर उसे छोड़ा था। संजीव तथा विनोद की पत्नी ने उसे बताया था कि कुएँ में कट्टे में उसकी बेटी की लाश पड़ी है। कट्टे में उसकी बेटी के पैर का अंगूठा ही दिख रहा था। साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, विवेचक ने घटनास्थल में चौराहे का नक्शा दिखाया है जबकि चौराहा दूसरी तरफ है। यह भी स्वीकार किया कि, यह सही है कि इस मामले में थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया था। संजीव उसके परिवार का भतीजा लगता है। उसे सूचना देने से पहले पुलिस ने उसकी बेटी की लाश निकाल ली थी। पुलिस ने उसे फोन पर उसकी बेटी के बारे में नहीं बताया था। वह सीधा थाने गया था घटनास्थल पर नहीं गया था। थाने पर उसे एस0ओ0 नहीं मिले थे थाना इंचार्ज मिले थे जिनसे उसने बताया था कि उसकी बेटी की लाश मिल गयी है रिपोर्ट लिख लो। इसके बाद वह वहॉ आया जहॉ उसकी लड़की की लाश मिली थी। लड़की की लाश बोरे से निकली हुई थी। लाश में से बदबू आ रही थी। लाश फूली हुई थी। खाल न पलट रही थी न छिली हुई थी। सीधी पड़ी हुई थी। पुलिस भी बहुत थी। उसे ध्यान नहीं है कि उसकी बेटी की लाश पर चोट का कोई निशान था या नहीं। डैड बॉडी के पास चप्पल, सलवार ये ही दो चीजें थी। डैड बाडी मिलने से पहले उन्होंने उस कुएँ में तलाश किया था कुएँ में कुछ नहीं था। कुऑ 6–7 फिट गहरा था कुएँ में नल का पानी 3–4 फिट भरा हुआ था। कुएँ के आस पास तीन एक घर की आबादी है। उसके घर और कुएँ के बीच मक्खन का ही घर है जो कुएँ से हटकर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, सलेखी, रतनपाल तथा ओमपाल तीनों के मकान कुएँ से करीब 5 मीटर दूरी पर हैं। बिरूज, शिब्बू, ब्रहमपाल, राजकुमार, मूले, कोसु, मांगे, जयविन्दर तथा रकमसिंह आदि के मकान कुएँ के पास न होकर उसके घर के आस पास हैं। ब्रहमपाल का खेत कुएँ व उसके घर के पास है। सीटू का घर दूसरे मौहल्ले में है। अनिल का घर भी दूसरे मौहल्ले में है। सीटू व अनिल का घर आस पास में ही है। अगर इनके घर आना हो तो एक रास्ता कुएँ की ओर गांव की ओर से भी आ सकते हैं। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, घटना के बाद उसने अनिल को नहीं देखा था। उसने अनिल को जब देखा था जब न्यायालय में गवाही देने आया था उससे पहले नहीं। उसे नहीं पता कि अनिल की उसके घरवालों से उसकी बेटी की घटना से एक साल पहले कहा सुनी हुई थी या नहीं। उसके भतीजे ब्रहमपाल की शादी घटना से आठ साल पहले नहीं हुई थी बल्कि एक साल पहले हुई थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, उसे 06–03–2012 को गांव की पूनम ने बताया था कि उसकी बेटी को सीटू उर्फ मानसिंह लेकर गया था। उसकी बेटी की लाश मिलने सेस पहले राजकुमार, सुरेन्द्र ने बताया था कि पूनम, सिटू,, धर्मसिंह तथा अनिल उन्हें नहर पुल पर मिले थे कि उनकी गलती हो गयी है उन्होंने उनकी लड़की मारदी है कुछ पैसे ले देकर फेंसला करलो। उनका मुन्दर से फेंसला करादो। उक्त गवाहान के बताने पर ही उसने एफ0आई0आर. में अनिल, पूनम, धर्मसिंह व अनिल के नाम बताये थे। राजकुमार, सुरेन्द्र ने

पुल पर मिलने वाली बात घर पर बतायी थी किन्तु उसे यह याद नहीं है कि, सुबह, दोपहर, शाम किस समय बतायी थी। पूनम ने उसे यह बात कि सीटू उसकी बेटी को ले गया था 4–5 तारीख को बतायी थी और उसके द्वारा यह बात पुलिस को बताने पर पुलिस ने कई बार इन लोगों से पूछताछ की थी फिर छोड़ दिया था। जब उसकी लड़की गायब हुई और उसका शव मिला तब पुलिस ने अनिल से पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने अनिल को पॉच साल बाद पकड़ा था कहॉ से पकड़ा था उसे नहीं पता। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, घटना सर्दी की थी उसकी बेटी की मृत्यु सर्दी में हुई थी। यह सही है कि, गांव के लोग अपने जानवरों को धूप में बाहर बाधंते हैं और गांव के लोग बाहर बैठना और काम करना पसंद करते हैं। वह नहीं बता सकता कि 04–03–2012 को दिन कौन सा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, जिस वैन को घटना में प्रयोग होना बताया है उसका नम्बर या वह किसके नाम थी, उसकी जानकारी के अनुसार उस वैन को पुलिस ने बरामद भी नहीं किया है। उसने कोई वैन गाड़ी नहीं देखी थी। उसे नहीं पता कि जहॉ उसकी लड़की खेल रही थी वहॉ परचून की दुकान वालों के बयान पुलिस ने लिये थे या नहीं। साक्षी ने प्रधानी को लेकर आपस में रंजिश होने से इन्कार किया है।

16– **पी0डब्लू0–2 मांगेराम** को परीक्षित कराया गया है। जिसके द्वारा मृतका को अन्तिम बार विशाल के साथ खेलते हुए, जिसके द्वारा वादी मुकदमा को यह बताया गया था कि उसकी लड़की खेलते हुए धर्मसिंह के घर की तरफ गयी थी, देखने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि, वह हाजिर अदालत मुलजिमान पूनम व सीटू को जानता है। धर्मसिंह को भी जानता है। धर्मसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वह वादी मुंदर तथा उसकी पुत्री/मृतका को भी जानता है। घटना के समय मृतका की उम्र 09 साल रही होगी वह कक्षा 5 की छात्रा थी। मुलजिमान, वादी मुकदमा तथा उसका मकान आस पास हैं। घटना दिनांक 04–03–2012 को करीब 3:30 बजे की है। मृतका अपने घर के बाहर तिराहे पर खेल रही थी। सुबह के 11:00 बजे की बात है। वह न्यार लेकर आ रहा था। तब उसने लड़की को खेलते हुए देखा था परन्तु लड़की के गायब होने का पता उसे तीन–साढ़े तीन बजे लगा था। उसने गायब होने से पहले धर्मसिंह के मकान के सामने मारूति वैन खड़ी देखी थी। वहॉ पर वैन के पास उसने अनिल व सीटू को देखा था। फिर वह दूध काढ़ने भैसों को लेकर चला गया था। शाम को छः – सवा छः बजे वापिस दूध लेकर डेरी पर जा रहा था तो वहॉ कुछ भी नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, लड़की के गायब होने का पता उसे चार तारीख को ही लग गया था तब सारे में ढूंढने लगे थे। पॉच तारीख को लड़की को तलाश किया। छः तारीख को जब लड़की को ज्यादा तलाश किया तो मुन्दर को पूनम ने आकर बताया कि उसकी लड़की चाय बिस्कुट खा रही है ठीक है। तुम सीटू का नाम ले दो वह सारी बात अपने आप बता देगा। पूनम ने ही बताया था कि लड़की सीटू के पास है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पूनम द्वारा जो बात बतायी गयी थी उसके सम्बन्ध में सात तारीख को गांव में पंचायत हुई थी,

पंचायत सब गांव वालों ने मिलकर बैठायी थी। पूरा गांव मौजूद नहीं था। प्रधान मौजूद था। पहला प्रधान ध्यानसिंह, वर्तमान प्रधान हरेन्द्र, मच्छा पुत्र ननवा, देवेन्द्र पुत्र होशियारे, महावीर पुत्र बल्ला, राहुल पुत्र मामचंद, रविन्द्र पुत्र मामचंद आदि लोग मौजूद थे। लगभग पचास आदमी मौजूद थे। पंचायत में पूनम नाट गयी थी। सीटू के घर पर मालूम किया तो वह घर पर नहीं मिला। घर वालों ने बताया कि वह बहन के घर गया है। साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, लड़की की लाश 12 तारीख को सफेद प्लास्टिक के कट्टे में लिपटी हुई मिली थी। लाश कुएॅ से मिली थी। उसे नहीं पता कि लड़की को किसने मारकर कुएॅ में डाला था। पूनम ने साफ बताया था कि सीटू व अनिल ने लड़की को मारा था। जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, मुंदर उसका सगा चाचा है ––––उसके घर से मुंदर व धर्मसिंह दोनेां के घर दिखायी नहीं देते। उसके घर से कुऑ जहॉ लाश मिली थी, की दूरी 70–80 मीटर होगी। उसके घर व कुएॅ के बीच में चार मकान व एक ट्यूवबैल है। चारों मकानों में लोग रहते है इन मकानों के सामने खेत हैं। कुऑ उसके घर से दिखायी नहीं देता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, पूनम ने मुंदर के घर पर लड़की के बारे में जो बताया था वह सभी के सामने बताया था शाम के करीब छः – साढ़े छः बजे के करीब बताया था। यह भी स्वीकार किया कि, उसने लड़की को चार तारीख को नहीं ढूंढा था पॉच तारीख को ढूंढवाया था। पॉच तारीख को जंगलों व रास्ते में ढूंढा था। पॉच तारीख को उसे या किसी ओर को कोई शक किसी पर नहीं था। यद्यपि साक्षी ने स्वंय को वैल्डिंग का काम मवाना में दुकान करना बताया है जिस पर ग्राम नारंगपुर के एक लड़के अनिल को भी काम करना बताया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि, वह सुबह ग्यारह–साढ़े ग्यारह बजे दुकान खोलता है और पॅाच बजे बंद कर देता है –––– वह दूध का काम भी करता है। घटना के समय 7–8 जानवर थे। वह वैल्डिंग की दुकान बंद नहीं करता था कोई जरूरी काम होने पर छुट्टी करता था। परन्त इस साक्षी ने जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि, दिनांक 04–03–2012 को घटना वाले दिन गांव कोई काम या फंक्शन नहीं था उसे तो केवल भैसों का चारा करना था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, जब लड़की की लाश मिली थी तब वह गांव में नहीं था बाहर था। घटना वाले दिन वह एस0एस0पी0 के यहॉ आये थे जहॉ लड़की की लाश मिलने की सूचना मिली थी। एस0एस0पी0 साहब के यहॉ वह, मुंदर तथा ओमी आये थे। दिन के बारह–साढ़े बारह बजे के करीब आये थे। उन्हें डेढ़ बजे लाश का पता चल गया था तो वह वापिस गांव चले गये थे। वो एस0एस0पी0 साहब के पास लड़की की बरामदगी के लिये आये थे। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, वे कप्तान साहब के यहॉ से सीधे थाने चले गये थे। वह थाने के बाहर था अंदर थाने में केवल मुंदर गया था। वे मोटर साईकिल से गांव गये थे पुलिस उनके पीछे पीछे थे। उनके साथ पुलिस भी एक ही गाड़ी से आयी थी। उसने लड़की की लाश नहीं देखी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, जब वे थाने गये थे ब्रहमपाल उनके चाचा का लड़का थाने पर बंद था। जिसे लाश मिलने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, पूनम के घर से मुंदर के घर से लगा हुआ मकान ब्रहमपाल का है जो मुंदर का भतीजा है। मुंदर और ब्रहमपाल एक ही परिवार के हैं। घटना के समय इनका एक दूसरे के यहॉ आना जाना था और अच्छे सम्बन्ध थे ––––ब्रहमपाल ने दो या तीन साल बाद घटना की जगह छोड़ दी थी। उसके बाद वह गांव में वापिस रहने नहीं आया। ब्रहमपाल की शादी घटना से एक–डेढ़ साल पहले हुई थी ––––घटना के समय ब्रहमपाल के कोई बच्चा नहीं था, आज भी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने मुंदर की लड़की को किसी के साथ जाते नहीं देखा था, न ही उसे मारते हुए देखा और न ही उसके शव को देखा था। उसने लड़की के शव को पुलिस द्वारा ले जाते हुए या पोस्टमार्टम के लिये ले जाते हुए भी नहीं देखा था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, जिस दिन मुंदर की लाश मिली थी उस दिन वह गांव नहीं गया था बल्कि गांव वाले उसकी दुकान पर खुद आये थे और वह उनके साथ थाने गया था। यह बात शाम के पॉच या साढ़े पॉच बजे की होगी। वह इनके साथ थाने जरूर गया था परन्तु मुंदर थाने के अंदर गया था जो बात करी थी मुंदर ने की थी –––– थाने वालों ने उन्हें पोस्टमार्टम के कागज दिये थे। जिन्हें लेकर वे मैडिकल गये थे। शव को लेकर मैडिकल गये थे। पुलिस वाले भी साथ गये थे। शव को पुलिस गांव से ही पोस्टमार्टम के लिये ले गयी थी। वो और पुलिस वाले तो केवल कागज ले गये थे। पोस्टमार्टम रात में ही हो गया था। उसे यह बात पता है कि ब्रहमपाल को लड़की का शव मिलने से एक दिन पहले पुलिस पूछताछ के लिये थाने ले गयी थी और शव मिलने के बाद ब्रहमपाल को छोड़ा था जो मुंदर का भतीजा है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उन्होंने शव मिलने से पहले कुऍ में नहीं देखा था बल्कि जंगल में देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, सफेद रंग की वैन ब्रहमपाल के घर के पास खड़ी थी परन्तु नम्बर उसे याद नहीं है। उसने ग्यारह–साढे ग्यारह बजे बच्ची को तिराहे पर खेलते देखा था।

17– **पी0डब्लू0–3 राजकुमार द्वारा** अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया गया है कि, करीब सवा–डेढ़ वर्ष पूर्व वह और उसका रिश्तेदार सोमपाल मवाना से आ रहे थे। नहर के पुल के पास अनिल, पूनम धर्मसिंह, सीटू मिले जिन्होंने हाथ देकर रोका। वे लोग उनसे बोले कि उनसे गलती हो गयी शराब के नशे में सीटू व अनिल से लड़की हत्या हो गयी। वे उन्हें कुछ पैसे दे देंगे। उनका नाम मुकदमे से कटवा दे। मुन्दर से कह दो। मना करने पर ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उसने वे सारी बातें तो उन लोगों ने उनसे कही थी मुंदर को बतादी थी। दौरान प्रतिपरीक्षा इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, वह राजनीति नहीं करता न ही उसकी किसी राजनैतिक आदमी से साठ गांठ है और न ही पुलिस से साठ गांठ रखता है। उसके नाम पर खेती की जमीन नहीं है। वह भट्टे पर मजदूरी का काम करता है। मुंदर उसके कुनबे का चाचा है। मवाना वह कौन सी तारीख को गया था उसे याद नहीं है। वह 9–10 बजे के करीब गया था। वह मवाना रिश्ते में मामा लगता है सोमपाल के साथ गया था। वह और उसका मामा दोनों एक ही साईकिल से गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया

कि, जब वह मवाना से लौटकर घर आया तब उसने पुलिस को यह बात बतायी थी। वह मवाना घर का साामन तेल, मिर्च मसाले आदि लेने गया था। उसका रिश्तेदार उसके साथ वैसे ही गया था। उसने यह सामान मवाना में अनिल की गुड़ मंडी की दुकान से खरीदा था। उसे मवाना से लौटते समय केवल मुलजिमान अनिल, सीटू, धर्मसिंह व पूनम ही मिले थे। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, वह गाड़ी का नम्बर नहीं बता सकता। साईकिल से मवाना जाने में आराम आराम से एक घंटा लग जाता है। अनिल के मिलने व मवाना जाने की बात उसने पुलिस को सांय चार बजे बतायी थी। उससे पुलिस ने केवल पूछताछ की थी। उसके गांव से नहर डेढ़ किमी0 दूर होगी। उसने गाड़ी को दूर से पहचान लिया था और उन्होंने गाड़ी पुल पर रोक ली थी। उन्होंने उसे हाथ देकर रोका था। उसे हाथ देकर अनिल ने रोका था और वही गाड़ी चला रहा था। उसने ही बात की थी कि राजकुमार जो हो गया सो हो गया। उनसे दारू के नशे में लड़की की हत्या हो गयी। मुंदर को बता दो पैसा ले देकर फेंसला कर लो। इसके बाद वे लोग कहॉ गये उसे नहीं पता। इस बात के समय उसका मामा भी साथ था। इसके अलावा ओर कोई बात नहीं हुई। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने दरोगा जी को जो व्यक्ति उसके साथ गया था उसकी बात नहीं बतायी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, लड़की की गुमशुदगी होने के बाद व पुलिस को उपरोक्त बात बताने के बीच में मुलजिमान कभी भी उसे गांव में नहीं मिले और न ही गांव में किसी आदमी ने लड़की की गुमशुदगी से लेकर पुलिस को बात बताने के दौरान उससे घटना के बारे में या मुंदर से समझौता करने की बात की थी। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसे मुरलीपुर में रहते हुए 8 या 10 साल हो गये हैं। वह मुंदर की लड़की की गवाही देने न्यायालय में आया है। मुंदर की लड़की की हत्या कब हुई आज डेट याद नहीं है। लड़की किस दिन गायब हुई इसकी जानकारी नहीं है। लड़की की डैड बॉडी किस तारीख को मिली थी उसे आज तारीख भी याद नहीं है। उसे नहीं मालूम कि लड़की की डैड बॉडी को पहले किसने देखा था। वह घटनास्थल पर बाद में पहुॅचा था। एक निक्कर व फ्रॉक मृतका ने पहन रखी थी। उसने किसी को हत्या करते नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, जिस दिन डैड बॉडी मिली उसके पॉच दिन बाद तक की अवधि में वह एक बार मवाना गया था। सामान क्या क्या खरीदा था नहीं बता सकता। मिर्च मसाला आदि खरीदा था 200 या 400 का सामान खरीदा था। वह नौ बजे सुबह गया था। मवाना जाने में उन्हें करीब पौन घंटा लगता है। दो घंटे सामान खरीदने में बाजार में लगे थे। उसके बाद वह सामान लेकर घर वापिस आया था। वह करीब साढ़े बारह बजे अपने गांव में पहुॅच गया था। उसे नहर पर अनिल, सीटू, पूनम और धर्मसिंह चारों लोग गाड़ी लिये खडे थे पूनम गाड़ी में बैठी थी। बाकी तीन लोग कार के बाहर थे। उसे तीनों ने हाथ दिया था तीनों बोले कि नशे में उनसे गलती हो गयी। पैसा ले देकर फेंसला करलो। पैसा ऑफर नहीं किया बल्कि कहा कि मुंदर से जाकर यह बात बता दो। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने ये बातें मुंदर को बता दी थी परन्तु मुंदर उसे पुलिस वालों के पास लेकर नहीं गया था। इस

साक्षी ने यह भी स्वकार किया कि, पुलिस ने एक दो दिन बाद जब पुलिस गांव में आयी थी तब उससे पूछताछ की थी तभी ये बातें बतायी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, तब तक ये लोग पकड़े नहीं गये थे। बहुत दिन बाद ये लोग पकड़े गये थे जब मोदी/योगी की सरकार आयी थी। तब तक पुलिस ने केाई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, मुंदर उसके सगे बाबा का लड़का है। सगा चाचा है। ब्रहमपाल तान्त्रिक का काम करता था या नहीं वह नहीं जानता।

18— **साक्षी पी0डब्लू0—4 रकमसिंह** ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, दिनांक 04—03—2012 को वह अपने घर पर था। मुंदर व उसकी पत्नी बच्चों को कपड़ा दिलाने मवाना गये थे। दो बजे के आस पास गये थे। उसकी लड़की घर के पस खेल रही थी। जब वह घर से खेतों की तरफ गया तो धर्मसिंह के घर के बाहर अनिल, सीटू मारूति वैन गाड़ी के साथ मिले थे। उनका धर्मपाल के पास आना जाना था। वह खेत से चार—साढ़े चार बजे वापिस आया तो अनिल वगैरहा व मारूति वैन नहीं मिली। शाम को जब मुंदर व उसकी घरवाली मवाना से वापिस आये तो उसकी लड़की नहीं मिली। ढूंढ मची उसे भी पता चला कि लड़की नहीं मिल रही। वह भी मुंदर और उसकी घरवाली और बहुत से लोग थे तब उन्हें विशाल ने बताया कि लड़की धर्मसिंह के घर की तरफ गयी थी। फिर वे धर्मसिंह के घर गये जहॉ धर्मसिंह व उसकी घरवाली पूनम मिली। जिसने उन्हें बताया कि लड़की उनके यहॉ नहीं आयी। दो दिन बाद 06—03—2012 को पूनम ने बताया कि लड़की उनके यहॉ आयी थी जिसे सीटू व अनिल अपने साथ ले गये। वे लोग लड़की को ढूंढते रहे नहीं मिली। सीटू व अनिल के घर गये वे भी नहीं मिले। दिनांक 12—03—2012 को लड़की की लाश गांव के कुएॅ में मिली। उसे शक है कि अनिल और सीटू ने पूनम के साथ मिल लड़की की हत्या की है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया कि, मुंदर उसका चाचा लगता है। परिवार से चाचा लगता है। वह फिलहाल मेरठ में गढ़ रोड पर अपना मकान बनाकर रह रहा है। यह मकान उसन तीन—चार साल पहले बनाया था। तभी से पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। भीड़वाड़ा में उसके पास खेती की जमीन नहीं है उसके पिता जी का दिया हुआ मकान है। वह मेरठ में घर पर ही सिलाई का काम करता है पैंट शर्ट सीने का काम करता है। भीड़वाड़ा में उसके पिताजी, माता जी, भाई भाभी और उसके बच्चे रहते हैं। उसका घर मुंदर के पास मेन रास्ते में है तीन मकान बीच में हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, जब मुंदर और उसकी पत्नी मवाना गये थे तब वह अपनी लड़की की देखभाल के लिये कहकर नहीं गये थे न ही लड़की के बारे में कहकर गये थे और न ही उसे बताकर मवाना गये थे। यह भी स्वीकार किया कि, उसके व धर्मसिंह के घर के मकान के पीछे व बराबर में मकान हैं केवल सामने खाली जगह है खूब बच्चे खेलते हैं। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, वह अपने घर से खेतों की तरफ एक—डेढ़ बजे गया था। वह घर से सीधा खेतों की तरफ गया था। जब

वह घर से खेतों की तरफ गया था तब उसे धर्मसिंह के घर के सामने सीटू, अनिल और वैन गाड़ी रास्ते में मिली थी और कोई गांव का व्यक्ति नहीं मिला था। जब वह खेतों पर जायेंगे तो धर्मसिंह का घर रास्ते में पड़ता हैं। यह भी स्वीकार किया कि, उसे लड़की के गुम होने का पता अंधेरा होने के बाद चला था। लड़की को मुंदर व उसके परिवार के लोग ढूंढ रहे थे। उनके परिवार के लोगों ने उसे बताया था कि लड़की गुम हो गयी है। वह नहीं बता सकता कि उस समय क्या बजा था, परन्तु दो दिन तक लड़की का कोई पता नहीं चला। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, जब दो दिन बाद गांव के काफी आदमी औरत मुंदर के घर बैठे हुए थे तब पूनम ने बताया था कि उसका नाम मत लेना। उनकी लड़की को अनिल व सीटू लेकर गये थे। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, यह बात उसने भी सुनी थी और दरोगा जी को बतायी थी परन्तु अनिल और सीटू लड़की को कहॉ लेकर गये यह बात नहीं बतायी थी। गांव में पंचायत हुई थी जिसमें पूनम ने ऐसी कोई बात बताने से इन्कार कर दिया था तो ये लोग पूनम से नाराज हो गये थे। पूनम व उसके पति ने मुंदर के भतीजे ब्रहमपाल को जो उसका रिश्ते में भाई लगता है को पुलिस से कहकर उठवा दिया था। ब्रहमपाल कई दिन थाने में बंद रहा था। ब्रहमपाल थाने से उसी दिन छूटा था जिस दिन लड़की की लाश मिली थी। जिस दिन लड़की की लाश मिली थी उसने लाश देखी थी। जब वह ढूंढते हुए कुएॅ के पास पहॅुचे तो लड़की की लाश कुएॅ के बाहर रखी थी। जहॉ काफी भीड़ इकट्ठा थी। कुएॅ में थोड़ा पानी था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, जिस दिन लड़की गायब हुई थी वह चार – साढ़े चार बजे घर लौटा था। लड़की की लाश उसने दोपहर के समय देखी थी। उस समय गांव के आदमी थे पुलिस बाद में आयी थी। जब उसने लाश देखी थी तब लाश काफी फूली हुई थी। नीचे कोई कपड़ा नहीं था। उपर एक कुर्ता था। गले में एक पट्टा सा पड़ा था जैसा इंजन वगैरा पर पट्टा चढ़ता है वैसा बारिक सा पट्टा था। कट्टे का साईज वह नहीं बता सकता सफेद रंग का कट्टा था। वह यह भी नहीं बता सकता कि कट्टा सीमेंट का, खाद का या और किस चीज का था। वह लाश के साथ मैडिकल गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे और न ही हस्ताक्षर कराये थे। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, वह घटना वाले दिन दुकान पर नहीं था। वह दो बजे अपने खेत से चारा लेने गया था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, चारा लेने सुबह शाम जाते है परन्तु उस दिन वह दो बजे चारा लेने गया था। चारा लेकर वह पहले आ गया था मम्मी बाद में आयी थी। उसकी मम्मी बताकर गयी थी कि रजवाहे पर आ जावे, वह रजवाहे पर चारा काट रही है। घटना के समय उसके पास मोबाईल नहीं था वह दो बजे जाने की बात अंदाजे से बता रहा है। घर से चारा लाने वाली जगह एक किमी0 दूर है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, वह अनिल और सीटू को गांव में रहने के कारण जानता है। वे उससे उम्र में बड़े हैं। उस दिन उनसे उसकी दुआ सलाम नहीं हुई थी और न ही उसने लड़की को रास्ते में

खेलते हुए देखा था। वह चारा लेकर शाम को चार बजे लौटा था। उसे शाम के समय मुंदर के बच्चे के खोने की बात पता चली थी। लेकिन वह सही समय नहीं बता सकता। शोर शराबा होने पर उसे गुम होने की बात पता चली थी उसे किसी ने नहीं बताया था। मुंदर व उसकी पत्नी बच्ची को देखते हुए शाम को मिले थे, परन्तु उन्होंने लड़की के गुम होने की बात उसे नही बतायी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, 06तारीख को पूनम ने बताया था कि लड़की को अगवाह करने में सीटू, अनिल, धर्मसिंह व उसका हाथ है। मुंदर की लड़की की लाश कुएँ में गले में पट्टा बँधे हुए 12–03–2012 को मिली थी। यह सही है कि 12–03–2012 को ब्रहमपाल पुत्र केशोराम को पुलिस पकड़कर थाने ले गयी थी। रात को थाने में रखा था और लाश मिलने से पहले उसे छोडा था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, अनिल के पास एक कार थी किसके नाम पर थी और उसका नम्बर क्या था वह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, वह अदालत में पहले भी और आज भी मुन्दर के कहने से आया है और उसी के कहने पर गवाही दे रहा है।

19– अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–5 अशोक कुमार एफ0आई0आर0 लेखक** हैं। इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि उसने दिनांक 12–03–2012 को थाना मवान पर तैनात रहते समय प्रार्थी मुंदर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–203 सन् 2012, धारा–364, 302, 201 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया था। जिसकी चिक उसके बोलने पर कां0 संजय कुमार द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप की गयी थी। टाईप कराने के बाद आशारानी के हस्ताक्षर कराये थे। चिक प्रदर्श क–2 पत्रावली पर दाखिल है। मुकदमे का खुलासा उसके द्वारा जी डी संख्या–31 समय 14:30 पर किया था जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर दाखिल है। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, प्रविष्टि संख्या 31 के आगे, वादी मुकदमा के आगे प्रजापति पर ओवर राईटिंग हैं। तहरीर में बाकी शब्द हैं उस पर ओवर राईटिंग है। प्रजापति पर ओवर राईटिंग है। यह भी बयान दिया कि जब मुकदमा कायम कराया तब एस ओ साहब थाने पर मौजूद थे। उसने एफ0आई0आर0 पर थाना प्रभारी के स्थान पर एस ओ साहब के हस्ताक्षर नहीं कराये थे, परन्तु वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता। सी ओ साहब के यहॉ पर 12–03–2012 को एफ0आई0आर0 कार्यालय भेज दी गयी थी परन्तु सी ओ साहब के हस्ताक्षर के नीचे डेट नहीं है। दिन के ढाई बजे आदमी सीधे उनके पास आ गये थे। तहरीर पर सी ओ साहब ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया था। धर्मसिंह के नाम पर कटिंग है अनिल मावी के पिता का नाम जगवीर लाईन से अलग जोड़ा गया है। मुंदर पर भी कटिंग है। यह भी बयान दिया कि एफ0आई0आर0 लिखते समय एस ओ साहब थाने पर मौजूद थे। तहरीर उन्हें सम्बोधित करके लिखी गयी थी। उसने इस सम्बन्ध में एस ओ साहब से कोई बातचीत नहीं की थी। एफ0आई0आर0 लिखने में आधा घंटा लगा था। जी डी नम्बर 31 पर मुकदमा कायम किया था। उसी जी डी से एस आई साहब घटनास्थल के लिये रवाना हुए थे। ये मुकदमा एस ओ साहब की जानकारी में कायम हुआ था। उसे नहीं पता कि वादीगण किस व्हीकल से थाने आये

थे। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसे याद नहीं है कि मुंदर अकेले आया था या उसके साथ कोई और भी था। तहरीर लिखकर लाया था तहरीर लेकर सीधा उसके पास आया था। उसी तारीख में उसने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के लिये एस ओ साहब ने कोई आदेश नहीं दिया था। मुकदमे का खुलासा जी डी 31 में किया था। एफ0आई0आर0 उसने बोल बोलकर कां0 संजय कुमार से कम्प्यूटर पर टाईप करायी थी। उसे जानकारी है कि एफ0आई0 आर0 दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अन्दर न्यायालय में भेजी जाती है परन्तु एफ0आई0आर0 पर न्यायालय भेजे जाने की दिनांक 14–03–2012 है। जिसके कालम नम्बर 14 पर वादी के तथा एस ओ साहब के हस्ताक्षर नहीं हैं न ही थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं किन्तु सैकेण्ड अफसर के हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि घटना की सूचना 14:30 बजे दिनांक 12–03–2012 को मिली थी और मुकदमे का खुलासा जी डी में 14:30 बजे किया गया है।

20– मृतका के शव का पोस्टमार्ट करने वाले चिकित्सक **डा0 संजीव कुमार को बतौर पी0डब्लू0–6** परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि, दिनांक 12–03–2012 को प्यारेलाल शर्मा अस्पताल मरेठ में तैनात रहते समय थानाध्यक्ष मवाना द्वारा भेजा गया मृतका उम्र 09 वर्ष के शव को पोस्टमार्टम समय 11:30 बजे किया गया था। बाह्य परीक्षण के दौरान मृत्यु उपरांत शरीर की अकड़न समाप्त हो चुकी थी। खाल जगह जगह से हटी हुई थी। बाल एवं नाखून ढीले पड़ चुके थे। पेट फूला हुआ था। ऑखे व जीभ बाहर की तरफ को निकल गयी थी। जननांग पर चोट का कोई निशान नहीं था। जननांग से स्त्राव लेकर शुक्राणु परीक्षण हेतु स्लाईड बनायी गयी थी जिसे प्यारेलाल शर्मा अस्पताल के पैथोलोजी विभाग को भेजा गया था। गले पर चमड़े की एक बैल्ट बंधी थी जिसकी गांठ आगे की तरफ थी। साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, उसने उक्त वैल्ट, मृतका के पहने कपड़े सलवार, कुर्ता, जर्सी, पेटीकोट, दुपट्टा तथा हाथ में पहना काला धागा सील करके साथ आये पुलिस कांस्टेबल को दे दिये थे। मृतका के गले पर फंदे का निशान 25.0 सेंमी0 लम्बा तथा 1.50 सेंमी0 चौड़ा था तथा ठोड़ी से 6.0 सेंमी0 नीचे एवं दाहिने कान से 5.0 सेंमी0 नीचे था। Base of the mark was radish. लिगेचर मार्क के नीचे के टिशु echymosed थे। इसके अलावा शरीर पर अन्य कोई बाहय चोट नहीं थी। आन्तरिक परीक्षण के दौरान मृतका का मस्तिष्क मुलायम हो गया था, श्वांस नली कंजस्टड थी। हृदय के बॉये कक्ष में रक्त नहीं था तथ दाहिना कक्ष रक्त से भरा हुआ था। अमाशय में करीब 50 मिली अधपचा भोज्य पदार्थ मौजूद था। लीवर, स्पलीन व दोनों किडनियॉ कंजस्टड थीं। उनकी राय में मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना था। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, मृतका की मृत्यु चार से आठ दिन के बीच में होना संभव है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, मृत्यु पूर्व मृतका का बैल्ट से गला दबाया जावे तो भी दम घुटने की वजह से मृतका की मृत्यु होना संभव थी। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, लाश की जो खाल उखड़ी हुई थी वह पानी की वजह से भी उखड़ सकती है और

लाश पुरानी हो जाने की वजह से भी। मृतका की मृत्यु पानी में गिरने की वजह से नहीं हुई मृतका के गले पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त शरीर पर अन्य कोई बाहरी चोट दिखायी नहीं दे रही थी। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसे यह याद नहीं है कि डैड बॉडी कितने कपड़ों में सील थी, डैड बॉडी सील थी कहीं से खुली हुई नहीं थी। डैड बॉडी पर एक सलवार, एक कुर्ता, एक पेटीकोट, एक जर्सी, एक दुपट्टा था, एक चमड़े की बैल्ट गले में बंधी थी। हाथ में एक काला धागा बंधा हुआ था। सलवार, कुर्ता और जर्सी पहनी हुई थी। बैल्ट की लम्बाई और चौड़ाई कितनी थी। वह नहीं बता सकता। बैल्ट चमड़े की थी लेकिन वह उसका कोई कलर नहीं बता सकता। उसमें लोहे का बांधने वाला छल्ला था या नहीं वह नहीं बता सकता। गले में बैल्ट की गांठ बंधी हुई थी। यह बात मैं इस समय नहीं बता सकता कि बैल्ट की गांठ ढीली बंधी थी या नहीं, टाईट बंधी थी या नहीं। इस साक्षी ने पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, पेटीकोट शरीर पर लिपटा हुआ था लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि यह पेटीकोट उस लड़की का नहीं था। दुपट्टा लाश के साथ आया था परन्तु मैं नहीं बता सकता कि वह दुपट्टा लाश के उपर था या नहीं। काला धागा कौन से हाथ में बंधा था मैं यह भी नहीं बता सकता। वह डैड बॉडी की स्किन का कलर नहीं बता सकता कि उस समय कैसा था। यह बात सही है कि, डैड बॉडी की त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई थी। वह यह भी नहीं बता सकता कि यह त्वचा पानी के कारण उखड़ी थी या समय के कारण उखड़ी थी। साक्षी ने पुनः यह स्वीकार किया कि, मृतका के गले में केवल फंदे का निशान था। फंदे का निशान गले के चारों तरफ हॉरिजैंटल पोजीशन में था। इसके अलावा शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, पोस्टमार्टम के समय डैड बॉडी को केवल पुलिस वालों के द्वारा ही पहचानना बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते समय किसी परीवार के आदमी या प्राईवेट आदमी के द्वारा पहचानना दर्ज नहीं है। वह नहीं बता सकता कि पोस्टमार्टम के समय मृतका के परिवार का कोई आदमी वहॉ था या नहीं। पोस्टमार्टम के उपरान्त डैड बॉडी को साथ आये कांस्टेबल को शव को सील मुहर करके प्राप्त करा दिया जाता है। यदि परिजन को डैड बॉडी दी गयी थी तो वह पुलिस वालों के द्वारा दी गयी होगी क्योंकि उसने तो डैड बॉडी सीलमुहर करके साथ आये पुलिस वालों को सौंप दी थी।

21— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0—7 सुरेन्द्र कुमार** ने यह बयान दिया है कि, मृतका उसकी भांजी थी जो दिनांक 04—03—2012 को उस समय गायब हुई थी जब वह 3:00 बजे सांय घर के बाहर खेल रही थी। घटना की रिपोर्ट उसके बहनोई के पिता ने लिखायी होगी। बच्ची के गायब होने के बाद वह राजकुमार के साथ मवाना से दिन के 3:30 बजे वापिस आ रहा था। साईकिल राजकुमार चला रहा था। वह पीछे बैठा था। उन्होंने देखा कि नहर की पटरी के तिराहे पर एक मारूति वैन गाड़ी खड़ी थी जिसमें धर्मसिंह, पूनम तथा अन्य दो व्यक्ति थे, जिन्हें वह नहीं जानता किन्तु राजकुमार ने उनके नाम अनिल व सीटू बताये

थे। अनिल व सीटू ने उस समय शराब पी रखी थी। अनिल व सीटू ने राजकुमार से यह बात कही कि उनसे गलती हो गयी है वो उसे कुछ पैसे दे देंगे। एफ0आई0आर0 से उनके नाम निकलवा दो। राजकुमार ने कहा कि वो कौन हैं नाम निकलवाने वाले जिनकी लड़की है उनसे बात करो। फिर ये लोग वहॉ से चले गये। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, वादी मुंदर उसका सगा बहनोई है। जब लड़की गुम हुई थी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंदर व उसके पिता ने करायी थी। उसे नहीं पता कि उसमें किसी का नाम था या नहीं, क्योंकि वह उस समय मौजूद नहीं था। उसे पॉच तारीख को दोपहर में गांव से लड़के ने फोन करके यह बात बतायी थी तब उसे पता चला था। वह छः तारीख की शाम को गांव भिंडवारा पहुॅचा था। राजकुमार के साथ मवाना से लौटने वाली बात तेरह तारीख की है इस बीच वह बहन के यहॉ गांव भिंडवारा में रहा था। लड़की की लाश उनके सामने मिली थी। उसके बहनोई के छोटे भाई की शादी थी। उसका दशमारी का सामान लेने मवाना गये थे। मवाना में वह एक परचून की दुकान पर गये थे। दुकान किसकी थी वह नहीं बता सकता। अन्य किसी दुकान पर नहीं गये थे। यह भी स्वीकार किया कि, मवाना से करीब 11:00 बजे सुबह चले थे और मवाना से लौटते समय तक वह और राजकुमार साथ साथ रहे थे। भिंडवारा व मवाना के बीच कितने किमी0 की दूरी है उसे नहीं पता। उसे याद नहीं है कि घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने उसके किसी कागज पर दस्तखत कराये थे या नहीं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, गाड़ी में बैठे पूनम व धर्मसिंह उसे पहले से जानते थे। ये उसके बहनोई मुंदर के पड़ौसी हैं। उसने दरोगा जी को बयान में बताया था कि, '' उन दोनों को रोककर कहने लगे कि जो गलती अनिल व सीटू ने नशे में कर दी है उसके लिये माफी मांगते हैं।'' इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, यह बात उनसे धर्मसिंह ने कही थी। अनिल व सीटू ने नहीं कही थी। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि, दरोगा जी मुंदर के घर पर पूछताछ के लिये आये थे वही उसका बयान लिया था। मारूति वैन में कौन कौन कहॉ बैठा था न तो यह बात दरोगा जी ने उससे पूछी और न ही उसने दरोगा जी को बतायी। धर्मसिंह गाड़ी के बाहर खड़ा था बाकी तीन लोग गाड़ी के बन्दर बैठे हुए थे। उसके सामने वे लोग वहीं रहे और ये लोग गांव वापिस आ गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, गांव भिंडवारा में वह छः तारीख से पन्द्रह तारीख तक रहा था। उसकी बहन व अभियुक्ता पूनम का आस पड़ौस था दोनों का एक दूसरे के यहॉ काफी आना जाना था। साक्षी ने इस कथन से इन्कार किया कि, उसकी भांजी की हत्या के मुकदमे में वह अभियुक्ता पूनम से झूठी गवाही लिखवाना चाहते हों और पूनम ने अनिल व सीटू के विरूद्ध गवाह बनने से इन्कार किया हो और मुंदर के भतीजे ब्रहमपाल को लड़की की हत्या के मामले में पूनम व धर्मसिंह ने पकड़वा दिया था। इस वजह से उन्होंने पूनम व धर्मपाल का नाम झूठा लिखवाया हो और इसी वजह से वह पूनम के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा हो।

22– अभियोजन की ओर से **साक्षी पी0डब्लू0–8 राजपाल सिंह/विवेचक को** परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, इस मामले की विवेचना

उन्हें एस0एस0पी0 महोदय के आदेश से अपराध शाखा में आवंटित की गयी थी। उनके द्वारा दौरान विवेचना सी0डी0 संख्या–17 दिनांक 07–05–2012 को किता कर विवेचना ग्रहण की गयी थी। सी0डी0 19 दिनांक 18–05–2012 को पूर्व किता सी0डी0 का अवलोकन तथा सी0डी0 22–05–2012 से घटनास्थल का निरीक्षण वादी व गवाहों की निशानदेही पर कर विवेचना उपरान्त नामजद अभियुक्तगण धर्मसिंह, पूनम, सीटू उर्फ सुखपाल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–6 दिनांक 07–06–2012 को अन्तर्गत धारा 364, 302, 201 भा0दं0सं0 प्रदर्श क–5 न्यायालय में प्रेषित किया तथा चौथे अभियुक्त अनिल के विरूद्ध विवेचना प्रचलित की गयी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि, वह विवेचना ग्रहण करने से दो वर्ष पूर्व उक्त थाने पर तैनात रहा था। विवेचना उसे एस0एस0पी0 के आदेश से क्राईम ब्रांच में प्राप्त हुई थी और उसके द्वारा विवेचना 07–05–2012 को प्रारम्भ की गयी थी। पर्चा संख्या 19 दिनांकि 18–05–2012 में केवल सी0डी0का अवलोकन किया था। दौरान विवेचना 25–05–2012 को घटनास्थल का निरीक्षण किया व साक्षियों के बयानों की पुष्टि की। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, अब उसे ध्यान नहीं है कि घटनास्थल गांव में कहॉ पर था। घटनास्थल कुऑ गांव के बाहर खेत में लगभग एक–डेढ़ फर्लांग पर था। उसे ध्यान नहीं कि खेत में कौन सी फसल खड़ी थी। जिसमें कुऑ था वह खेत किसका था। उसे ध्यान नहीं कि कुऑ चालू था या नहीं। यह कुऑ खेती व पीने के पानी के लिये प्रयोग होता था। सभी साक्षी उसे गांव में मिले थे। वादी अपने घर पर मिला था अन्य गवाह भी अपने अपने घर पर मिले थे। उस दिन वह गांव में वादी मुंदर, उसकी पत्नी मुन्नी व गवाह मांगेराम से मिला था। उसने साक्षीगण के मजीद बयान लिये थे। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, जब उसे विवेचना मिली तब उसने 19 या 20 पर्चे काटे थे। उसने वादी का मजीद बयान लिया था और से मुँहजुबानी पूछताछ की थी। उससे पूर्व घटनास्थल मृतका के शव वाले स्थान का नक्शा नहीं बनाया था केवल निरीक्षण किया था। दिशा का उसे ध्यान नहीं है मगर एक या डेढ़ फर्लांग पर है। खुली जगह है। खेत में कुऑ है परन्तु वह लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकता। कुऑ किस चीज का बना है उसे नहीं पता। वह गहराई नहीं बता सकता। पानी पीने के लिये प्रयोग होता था। कुएॅ में पाईप लगा है उसे नहीं पता। पानी पीने व खेती के लिये प्रयोग होता हो, वह नहीं बता सकता। कुऑ प्राईवेट किसी व्यक्ति का था। यह गांव आबादी से एक–डेढ़ फर्लांग दूरी पर है। उसे नहीं पता कि कुएॅ के पास कोई कमरा या कोई चीज बनी हो। उसने किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया था। उसने अनिल के बारे में जानकारी नहीं की थी।

23– अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–9 धर्मेन्द्र कुमार निरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि, वह दिनांक 12–03–2012 को थाना मवाना पर थाना प्रभारी नियुक्त थे। वह वादी मुनेंद्र की सूचना पर गांव भिंडवारा गये थे। उनके साथ एस0आई0 जयपाल सिंह, है0 कां0 पुलिस ओमवीर सिंह, है0 कां0 पुलिस जयपाल सिंह व हमराही कर्मचारीगण पंचायतनामा एवं अन्य कार्य हेतु गये थे। हैड कां0

पुलिस आशा रानी भी उनके साथ थी। जब वे गांव में पश्चिम दिशा स्थित कुएॅ पर पहुॅचे तो वहॉ मृतका की लाश एक प्लास्टिक के कट्टे में बंद पड़ी थी कुएॅ में पानी था। कट्टे को कुएॅ से निकलवाया गया जिसे खोलने पर वहॉ उपस्थित परिवारजन ने शव की शिनाख्त की और उसकी पहचान वादी मुंदर की पुत्री के रूप में की। पंचायतनामा हैड कां0 ओमवीर सिंह को बोल बोलकर भरवाया गया। पंचान जिसमें ध्यानसिंह, कुंवरपाल सिंह, नेपाल सिंह, तिलकराम तथा प्रमोद कुमार को नियुक्त किया गया। मृतका के शव की स्थिति अंकित की गयी। मृतका के शरीर पर एक नीले रंग का कुर्ता, लाल रंग की जर्सी, कत्थई कलर की शाल थी। उसके गले में रस्सी का फंदा टाईट बधा हुआ था। शरीर की खाल जगह जगह से उखड़ी हुई थी जिस कारण अन्य कोई चोट दिखायी नहीं दे रही थी। उसकी तथा पंचान की राय में मृतका के गले में फंदा डालकर हत्या की गयी थी। शव को सफेद कपड़े में रखकर सील, मुहर किया गया तथा पोस्टमार्टम से सम्बन्धित कागजात तैयार कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। बलात्कार के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर भेजी गयी थी। इस साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा प्रदर्श क–6 तथा पोस्टमार्टम से सम्बन्धित प्रपत्र प्रदर्श क–7 ता क–12 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, वह थाना मवाना में एस0ओ0 के पद पर तैनात था। गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस दौरान किसी पर शक नहीं था। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उसे इस समय याद नहीं है कि, ब्रहमपाल नाम के व्यक्ति को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया था या नहीं। सूचना आयी थी कि कुएॅ में कोई शव पड़ा है। फिर कहा बोरे में थी। उसे सूचना मिली कि बोरे में कोई शव हो सकता है। यह सूचना कब और किसके द्वारा दी गयी, उसे याद नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, वह उस समय थाना क्षेत्र में मौजूद था। जब वह कुएॅ पर पहुॅचे तो काफी भीड़भाड़ थी। उस समय शव बोरे में कुएॅ में था। कट्टे को कुएॅ से बाहर पुलिस वालों और वहॉ मौजूद लोगों के सहयोग से निकलवाया गया था। कुएॅ की गहराई 25–30 फिट होगी और उसमें कुछ पानी था। यह बोरा छोटी रस्सी से बंधा था जिसे उसके हमराहियों ने खोला था। यह रस्सी प्लास्टिक की थी जिससे घरों में कपड़े टॉगे जाते हैं। शव के शरीर पर नीले रंग का कुर्ता, लाल रंग की जर्सी, कत्थई रंग का शाल था। शाल, जर्सी व कुर्ते के अलावा और कुछ नहीं था। शव थोड़ा फूल गया था मगर पहचान में आ रहा था। यह भी स्वीकार किया कि, जब शव को खोला गया तो गांव के सभी लोग मौजूद थे मृतका का पिता मुनेंद्र भी मौजूद था। उसके परिवार के पापा, मम्मी व अन्य रिश्तेदार थे। नक्शा बनाया था। यदि नक्शा पत्रावली पर मौजूद नहीं है तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, जिस दिन शव मिला था उसके अगले दिन उसका स्थानान्तरण मवाना से अन्य जगह हो गया था। स्थानान्तरण से पहले ब्रहमपाल से जानकारी की हो उसे याद नहीं। घटना के सम्बन्ध में गांव के एक दो लोगों को हिरासत में लिया गया था परन्तु उनके नाम उसे याद नहीं हैं। उसके द्वारा केवल पंचायतनामा भरा गया था।

24– अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–10 सोमवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, दिनांक 13–03–2012 को वह थाना मवाना पर बतौर एस0एच0ओ0 नियुक्त थे। पूर्व थानाध्यक्ष के निलम्बित होने के कारण उन्होंने मु0अ0सं0–203/2012 की विवेचना ग्रहण की थी तथा पूर्व सी0डी0 का अवलोकन किया। वादी की पत्नी मुन्नी, रकमसिंह, मांगेराम के बयान अंकित किये। वादी की निशानेदही पर घटना स्थल वादी के मकान के बाहर चौराहे का निरीक्षण किर नक्शा नजरी प्रदर्श क–13 तैयार किया तथा मृतका का शव बरामदगी स्थल का निरीक्षण वादी की निशानदेही पर करके नक्शा नजरी तैयार किया जो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजकुमार तथा सुरेन्द्र जो वादी मुकदमा के रिश्तेदार हैं, के बयान अंकित किये। अभियुक्तगण धर्मपाल व पूनम की तलाश की गयी। मृतका के शव से ली गयी स्लाईड मैडिकल में परीक्षण हेतु दाखिल की गयी। अभियुक्तगण धर्मपाल, सीटू व पूनम को गिरफ्तार कर थाने दाखिल किया। सीटू उर्फ सुखपाल तथा धर्मसिंह से पूछताछ की गयी। जिसमें अभियुक्तगण ने यह बताया कि, दिनांक 04–03–2012 को समय 3:00 बजे नशा अधिक होने पर सीटू व अनिल ने मृतका को बदनियती से पैसों का लालच देकर घर के अन्दर ले जाकर बलात्कार करने का प्रयास किया और मृतका द्वारा जोर जोर से चिल्लाने पर अनिल व सीटू ने एक रबर की पट्टी से उसके गले में गांठ लगाकर गला घोटकर हत्या करदी और लाश को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर मुॅह बांधकर अनिल की मारूति वैन में रखकर अभियुक्त अनिल के द्वारा ठिकाने लगाने के लिये ले गये। दिनांक 11/12–03–2012 की रात को मृतका के चाचा के लड़के ब्रहमपाल से पुलिस द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त अनिल द्वारा मृतका की लाश को छिपाने के स्थान से लाकर गांव के पास कुएॅ में डालना बताया। अभियुक्ता पूनम तथा अभियुक्तगण धर्मपाल व सीटू के बयान अंकित किये। उक्त बयानों के आधार पर धारा 376/511, 120बी भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त अनिल को तलाश किया गया। मृतका क स्लाईड रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर सी डी में अंकित की गयी। पंचायतनामा के गवाहान के बयान अंकित किये गये। तदोपरान्त उक्त मामले की विवेचना एस0आई0एस0 विभाग को सुपुर्द की गयी। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, ब्रहमपाल से उन्हेांने कोई पूछताछ नहीं की। अभियुक्त सीटू ने मृतका की हत्या करहने के बाद उसके शव को अनिल के साथ ले जाकर छिपाना बताया परन्तु कहॉ छिपाया था इसकी जानकारी होने से इन्कार किया है। सर्वप्रथम शव किसने देखा था इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का बयान घटनास्थल पर लेने से इन्कार किया है। बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साक्षी ने नक्शा नजरी में क्रोस से दर्शाये गये खाली स्थान के मालिक के नाम की जानकारी होने से इन्कार किया है। उत्तर की ओर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर किसके घर हैं वह नहीं बता सकता। यह भी स्वीकार किया है कि, काफी समय बीत जाने के कारण वह नहीं बता सकता कि अभियुक्त धर्मसिंह के मकान के सामने खाली जगह थी या मकान था। नक्शे में धर्मसिंह के मकान के पश्चिम में दर्शित खाली जगह

का मालिक कौन था वह इस समय नहीं बता सकता। नक्शे में चौराहे पर दुकान या मकान उसके द्वारा मालिक के नाम के साथ अंकित नहीं किये गये हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, मृतका की मॉ मुन्नी का बयान केस डायरी सैकेण्ड में तीसरे पेज पर अंकित है जिसमें उसने कहा है कि ,''दिनांक 11–03–2012 की रात को पुसि को पूनम व उसके पति धर्मसिंह ने उसके भतीजे ब्रहमपाल पर शक दर्शाते हुए पुलिस को पकड़वा दिया था तथा अगले ही दिन 12–03–2012 को उसकी लड़की की लाश उनके घर से थोड़ी दूर हरिजन लोगों की मकान के पास स्थित पानी के कुएॅ से मिली थी।'' साक्षी ने धर्मपाल के मकान से पहले ब्रहमपाल का मकान पड़ता है, इससे भी अनभिज्ञता जाहिर की है। साक्षी द्वारा नक्शा नजरी में वादी के मकान के सामने खाली स्थान है या मकान है, इससे भी अनभिज्ञता जाहिर की गयी है। मृतका का शव कुॅए में पड़े बोरे से बरामद हुआ था इसकी जानकारी पंचायतनामा से होना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, ब्रहमपाल को उसके द्वारा मुलजिम नहीं बनाया गया और न ही गवाह बनाया गया। यह सही है कि, घटना में प्रयुक्त गाड़ी दौरान विवेचना बरामद नहीं की गयी। पुनः प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उन्हें घटना के एक दिन बाद मुकदमे की विवेचना मिली थी। उसने मृतका की मॉ मुन्नी का बयान लिखा था जिसने बयान दिया था कि, ''दिनांक 12–03–2012 को पूनम व उसके पति ने उसके भतीजे ब्रहमपाल पर शक दर्शाते हुए पुलिस से पकड़वा दिया था। अगले ही दिन 12–03–2012 को उसकी लड़की की लाश उनके घर से थोड़ी दूर हरिजनों के घर के पास स्थित पानी के कुएॅ से मिली'' परन्तु उसके द्वारा ब्रहमपाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दौरान विवेचना ब्रहमपाल के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, मृतका की माता मुन्नी के बयान के आधार पर 11–03–2012 को ब्रहमपाल को पूछताछ के लिये थाने लाया गया था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने ब्रहमपाल की गिरफ्तारी, उसे छोड़ने, पूछताछ के लिये बुलाने अथवा बयान अंकित करने के सम्बन्ध में थाना प्रभारी का बयान नहीं लिया था। यह भी स्वीकार किया कि नक्शा नजरी प्रथम में जो कटिंग है वो धाराओं के साथ थाने में लिखने के कारण की गयी है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, दौरान विवेचना उसके द्वारा अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार नहीं किया गया था वह बदस्तूर फरार था। अनिल की गाड़ी भी दौरान विवेचना नहीं मिली थी और न ही गाड़ी के सम्बंध में आर0टी0ओ0 आफिस से कोई रिपोर्ट मंगायी थी। रवानगी में समय अंकित नहीं है। पर्चा 8 में दूसरी लाईन में डेट पर्चा 7 की डाली गयी है जिसमें ओवर राईटिंग हैं, हस्ताक्षर के उपर डेट पर भी ओवर राईटिंग है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, एक्स स्थान पर बच्ची के खेलने के स्थान पर दो दुकानें थी जिन्हें उसने नक्शे में नहीं दर्शाया है। उत्तर की ओर मकान दर्शित किया है परन्तु मकान किसका है यह अंकित नहीं किया है। मुंदर के लगभग ठीक सामने सतवीर का मकान वाली जगह खाली स्थान दर्शाया है इसका कारण यह है कि वह घटना से दूर गली के अन्दर को था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उसने सेवाराम का मकान, बल्लेराम का मकान,

धर्मपाल के घर के बराबर में शन्नो के मकान का इंद्राज नही किया है क्योंकि उसके द्वारा मौके पर जहॉ बच्ची का अपहरण हुआ था उसके आस पास के मकान का वर्णन किया गया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, यह सही है कि जहॉ गाड़ी खड़ी थी वह स्थान भी उसने नक्शा नजरी में नहीं दर्शाया है। उसने सुरेन्द्र व राजकुमार का बयान उस स्थान पर लिया था जहॉ से मृतका को अगवा करना बताया गया था। बयान गली में रास्ते पर लिया था किसी के घर पर नहीं लिया था।

25– उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है।

26– **<u>–: निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–1 :–</u>**

विधि व्यवस्था **सुखदेव सिंह बनाम बिहार राज्य, 1957 क्रिमिनल लॉ जनरल 565 एस0सी0** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि, अभियोजन का यह कर्तव्य है कि, वह अपने मामले को निश्चितता से परे साबित करे। **सरदार फाइनैंस कारपोरेशन बनाम उ0प्र0राज्य 1978 क्रिमिनल लॉ जनरल** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि, दाण्डिक मामले तथ्यों के आधार पर तय किये जाने चाहिये न कि मात्र अनुमानों के आधार पर। **बाबू राम आदि बनाम पंजाब राज्य (2008) 2 एस0सी0सी0 क्रिमिनल 727** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सम्मानित विधि व्यवस्था दी गयी है कि, अभियोजन पक्ष को अपने कथानक को संन्देह से परे अभियुक्तगण के विरूद्व सिद्व करना होगा, अन्यथा की दशा में संन्देह का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होगा तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शीशपाल ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि__अभियोजन को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्क संगतपूर्ण सन्देह से परे साबित करने होंगे। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण सन्देह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नहीं बदलता।**

27– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना की रिपोर्ट आठ दिन के बिलम्ब से, मृतका का शव बरामद होने के बाद दिनांक 12–03–2012 को सोच समझकर सलाह मश्वरे के आधार पर दर्ज करायी गयी है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध **तहरीर प्रदर्श क–1** का अवलोकन किया जाना उचित होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुंदर पुत्र कान्ति प्रजापति द्वारा थाना मवाना, मेरठ पर दिनांक 12–03–2012 को 14:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि, प्रार्थी की लड़की दिनांक 04–03–2012 को शाम 3:00 बजे घर के बाहर खेलती हुई गुम कर दी गयी काफी तलाश के बावजूद नहीं मिली। दिनांक 06–03–2012 को पूनम पत्नी धर्मसिंह ने उसे बताया कि उसकी लड़की को सीटू पुत्र मानसिंह लेकर गया है परन्तु उसके पति से मत बताना

जिससे कि उसका पति उसके साथ मारपीट न कर सके। बाकी बात सीटू बतायेगा कि कौन उसके साथ था। फिर उन्हें पता चला कि उसकी लड़की को धर्मसिंह पुत्र भोलर, पूनम पत्नी धर्मसिंह,अनिल पुत्र जगवीर व सीटू पुत्र मानसिंह ने मारकर हत्या कर दी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को अभियुक्ता पूनम द्वारा दिनांक 06–03–2012 को ही यह बता दिया गया था कि वादी की लड़की को अभियुक्त सीटू पुत्र मानसिंह ले गया था और सीटू को सम्पूर्ण जानकारी थी कि वादी की पुत्री को कौन कौन व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया था। तथापि वादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना पुलिस थाना मवाना अथवा किसी उच्च पुलिस अधिकारी को नहीं दी गयी कि उसकी पुत्री को गांव का सीटू पुत्र मानसिंह अन्य साथियों के साथ ले गया है जिससे पुलिस वादी की लड़की को तलाश करवाने में वादी का सहयोग करती। परन्तु वादी मुकदमा द्वारा इतने अटूट तथ्य की जानकारी अभियुक्ता पूनम से होने के उपरांत भी थाना मवाना पर तहरीर दिनांक 12–03–2012 को अर्थात् 06–03–2012 के छः दिन बाद दी गयी है। उक्त तहरीर पर जानकारी होन की दिनांक 06–03–2012 के छः दिन बाद 12–03–2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय तहरीर में छः दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादी द्वारा उल्लिखित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त **पी0डब्लू–1 मुंदर** ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि, विशाल जो उसका सगा भतीजा है। उसने दिनांक 04–03–2012 को ही वादी को यह बता दिया था कि उसकी लड़की धर्मसिंह के मकान की तरफ गयी थी। **ऐसी स्थिति में दिनांक 04–03–2012 को ही वादी मुकदमा को अपनी पुत्री मृतका को धर्मसिंह के घर की ओर जाने की जानकारी प्राप्त हो गयी थी परन्तु उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।** इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में यह भी अंकित किया गया है कि, दिनांक 06–03–2012 को अभियुक्त पूनम द्वारा उसे यह बताया गया था कि उसकी लड़की को सीटू पुत्र मानसिंह लेकर गया है और इस बात को अपने बयानों में भी स्वीकार किया गया है। **परन्तु दिनांक 06–03–2012 को भी वादी द्वारा अपनी पुत्री को अभियुक्त सीटू द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में कोई तहरीर थाने में नहीं दी गयी और न ही किसी उच्चाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया। अपितु वादी द्वारा वादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 12–03–2012 को अपनी पुत्री का शव बरामद होने के बाद दर्ज करायी गयी है।** ऐसी स्थिति में, **वादी मुंदर द्वारा दिनांक 04–03–2012 को अपने भतीजे विशाल से तथा दिनांक 06–03–2012 को अभियुक्ता पूनम से जानकारी होने के बावजूद दिनांक 12–03–2012 से पूर्व सम्बन्धित थाने पर कोई तहरीर न देना अथवा किसी उच्चाधिकारी को प्रार्थना पत्र न देना प्राथमिकी दर्ज कराने में विलम्ब को प्रकट करता है और तथाकथित विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में अंकित नहीं किया गया है।**

28– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्त अनिल पुत्र जगवीर का नाम बाद में लिखा गया है क्योंकि तहरीर में सीटू पुत्र मानसिह के बाद यह अंकित है कि इन तीनों ने

मारकर उनकी लड़की की हत्या कर दी। जबकि तहरीर में धर्मसिंह, पूनम तथा सीटू के अतिरिक्त अनिल का नाम भी अंकित किया गया है और उक्त पंक्ति में जिस प्रकार से अभियुक्त अनिल का नाम बढ़ाया गया है वह तहरीर में पृथक से अंकित करना स्पष्ट होता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि, **उक्त तहरीर में वादी द्वारा यह अंकित किया गया है कि, " पर मेरे पति से मत बताना ताकि मेरा पति मेरे साथ मारपीट न करे और बाकी बात को सीटू बतायेगा कौन उसके साथ था। यह बात पूनम पत्नी धर्मसिंह ने कही फिर हमें पता चला कि हमारी लड़की धर्मसिंह पुत्र भोलर व पूनम पुत्र धर्मसिंह व अनिल मावी पुत्र जगवीर व सीटू पुत्र मानसिंह इन तीनों ने मारकर हमारी लड़की की हत्या कर दी। "** तहरीर जहॉ यह अंकित है कि," **हमारी लड़की धर्मसिंह पुत्र भोलर व पूनम पत्नी धर्मसिंह व सीटू पुत्र मानसिंह इन तीनों ने मार कर हमारी लड़की की हत्या करदी" इसमें "पूनम पत्नी धर्मसिंह व "** के आगे अनिल मावा पुत्र जगवीर व शब्द सीटू से पहले पृथक से बढ़ाया जाना प्रतीत होता है क्योंकि इसमें शब्द मानसिंह के बाद **" इन तीनों लोगों ने मारकर हमारी लड़की की हत्या करदी " अंकित किया गया है।** ऐसी स्थिति में **तहरीर में अनिल मावी पुत्र जगवीर जिस प्रकार से लिखा गया है वह बाद में तहरीर में पृथक से बढ़ाया जाना स्पष्ट होता है और अभियुक्त अनिल का नाम बाद में तहरीर में बढ़ाये जाने का तथ्य, बचाव पक्ष का समर्थन करता है।**

29– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण को अभियुक्तगण द्वारा की गयी न्यायिकेत्तर संस्वीकृत साक्ष्य के सम्बन्ध में परीक्षित कराया गया है। वह सभी वादी मुकदमा के रिश्तेदार हैं और हितबद्ध साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। जिस कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **राजकुमार पी0डब्लू0–3** ने यह बयान दिया है कि, **करीब सवा–डेढ़ वर्ष पूर्व वह और उसका रिश्तेदार सोमपाल मवाना से आ रहे थे। नहर के पुल के पास अनिल, पूनम धर्मसिंह, सीटू मिले थे जिन्होंने हाथ देकर रोका था। इन लोगों ने कहा कि उनसे गलती हो गयी शराब के नशे में सीटू व अनिल से लड़की हत्या हो गयी थी। वे उन्हें कुछ पैसे दे देंगे वो उनका नाम मुकदमे से कटवा दे। मुन्दर से कह दो। मना करने पर ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गये।** परन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने स्वंय यह स्वीकार किया है कि, **मुंदर उसके कुनबे का चाचा है। उसे यह ध्यान नहीं है कि वह किस तारीख को मवाना गया था।** उसके साथ सोमपाल जो रिश्ते में उसका मामा लगता है वह भी गया था। **उसे मवाना से लौटते समय केवल मुलजिमान अनिल, सीटू, धर्मसिंह व पूनम ही मिले थे।** इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, **वह गाड़ी का नम्बर नहीं बता सकता। साईकिल से मवाना जाने में आराम आराम से एक घंटा लग जाता है। अनिल के मिलने व मवाना जाने की बात उसने पुलिस को**

सांय चार बजे बतायी थी। उसके गांव से नहर डेढ़ किमी0 दूर होगी।साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **उसने गाड़ी को दूर से पहचान लिया था और उन्होंने गाड़ी पुल पर रोक ली थी। उसे हाथ देकर अनिल ने रोका था और वही गाड़ी चला रहा था। उसने ही बात की थी कि राजकुमार जो हो गया सो हो गया। उनसे दारू के नशे में लड़की की हत्या हो गयी।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **उसने दरोगा जी को जो व्यक्ति उसके साथ गया था उसकी बात नहीं बतायी थी।** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **गांव में किसी आदमी ने लड़की की गुमशुदगी से लेकर पुलिस को बात बताने के दौरान उससे घटना के बारे में या मुंदर से समझौता करने की बात नहीं की थी।** इस साक्षी ने दौरान प्रतिपरीक्षा यह भी स्वीकार किया कि, **वह राजनीति नहीं करता न ही उसकी किसी राजनैतिक आदमी से साठ गांठ है और न ही वह पुलिस से साठ गांठ रखता है।**

30– इसी प्रकार साक्षी **पी0डब्लू0–7 सुरेन्द्र कुमार जो कि वादी मुंदर का सगा साला है,** ने भी यह बयान दिया है कि, **मृतका उसकी भांजी थी जो दिनांक 04–03–2012 को उस समय गायब हुई थी जब वह 3:00 बजे सांय घर के बाहर खेल रही थी।** इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि, **बच्ची के गायब होने के बाद वह राजकुमार के साथ मवाना से दिन के 3:30 बजे वापिस आ रहा था। साईकिल राजकुमार चला रहा था। वह पीछे बैठा था। उसने देखा कि नहर की पटरी के तिराहे पर एक मारूति वैन गाड़ी खड़ी थी जिसमें धर्मसिंह तथा पूनम के अलावा अन्य दो व्यक्ति बैठे थे, जिन्हें वह नहीं जानता था, परन्तु उसे उनके नाम अनिल व सीटू राजकुमार ने बताये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, उस समय अनिल व सीटू ने शराब पी रखी थी और अनिल व सीटू ने राजकुमार से कहा कि उनसे गलती हो गयी है वो उसे कुछ पैसे दे देंगे। एफ0आई0आर0 से उनके नाम निकलवा दो।** प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, **राजकुमार के साथ मवाना से लौटने वाली बात तेरह तारीख की है। वादी मुंदर उसका सगा बहनोई है। उसे पॉच तारीख को दोपहर में गांव से लड़के ने फोन करके उसकी भांजी के गुम होने की बात बतायी थी तब वह छः तारीख की शाम को गांव भिंडवारा पहुॅचा था। इस बीच वह बहन के यहॉ गांव भिंडवारा में रहा था। लड़की की लाश उनके सामने मिली थी।** इस साक्षी ने मवाना से सामान लाने की बात के सम्बन्ध में यह भी बताया कि, **उसके बहनोई के छोटे भाई की शादी थी। उसका दशमारी का सामान लेने मवाना गये थे। दुकान किसकी थी वह नहीं बता सकता।** अन्य किसी दुकान पर नहीं गये थे। यह भी स्वीकार किया कि**, मवाना से करीब 11:00 बजे सुबह चले थे और मवाना से लौटते समय तक वह और राजकुमार साथ साथ रहे थे।** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **गाड़ी में बैठे पूनम व धर्मसिंह उसे पहले से जानते थे। ये उसके बहनोई मुंदर के पड़ौसी हैं।** उसने दरोगा जी को बयान में बताया था कि, **" उन दोनों को रोककर कहने लगे कि जो गलती अनिल व सीटू ने नशे में कर दी है उसके लिये माफी मांगते हैं।"** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, **यह**

बात उनसे धर्मसिंह ने कही थी। अनिल व सीटू ने नहीं कही थी। धर्मसिंह गाड़ी के बाहर खड़ा था बाकी तीन लोग गाड़ी के अन्दर बैठे हुए थे। उसकी बहन व अभियुक्ता पूनम का आस पड़ौस था दोनों का एक दूसरे के यहॉ काफी आना जाना था।

31— **पी0डब्लू0—3 राजकुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन अभियुक्तगण अनिल, पूनम, धर्मसिंह व सीटू द्वारा करना बताया है और उसके मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान केवल अभियुक्त अनिल द्वारा गाड़ी चलाते हुए हाथ देकर रोकने और अनिल द्वारा ही जुर्म स्वीकार करने का कथन किया है।** जबकि पी0डब्लू0—7 सुरेन्द्र कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में अनिल व सीटू द्वारा जुर्म स्वीकार करना तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान **"जो गलती अनिल व सीटू ने नशे में कर दी है उसके लिये माफी मांगते हैं" ये बात धर्मसिंह द्वारा कहने का कथन किया गया है और स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि यह बात उससे अनिल व सीटू ने नहीं कही थी। इस साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है।** इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य में पर्याप्त विराधेाभास प्रकट होता है। उक्त साक्षी वादी मुंदर के सगे रिश्तेदार हैं और हितबद्ध साक्षी हैं। ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। विधि व्यवस्था **निखिल चन्द्र मण्डल बनाम स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल ए.आई.आर. 2023 (एस.सी.) 1323** में यह अवधारित किया गया है कि, अभियुक्तगण द्वारा गवाह के सामने की गयी न्यायिकेतर जुर्म स्वीकारोक्ति, अभियुक्तगण को दण्डित करने के लिये पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अभियुक्तगण द्वारा की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वंय में कमजोर साक्ष्य है जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता से विचार किया जाना चाहिये। अभियुक्तगण द्वारा की गयी संस्वीकृत साक्ष्य को अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्य साक्ष्य से भी सम्पोषित किया जाना न्यायसंगत है, जिससे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियॉ जुड़ती प्रतीत होती हों।

32— बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, मृतका को अन्तिम बार विशाल के साथ खेलते हुए तथा धर्मसिंह के घर की तरफ जाते देखने और धर्मसिंह के घर के बाहर मारूति वैन खड़े देखने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0—2 मांगेराम तथा पी0डब्लू0—4 रकमसिंह** को परीक्षित कराया गया है। परन्तु उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में पर्याप्त विरोधाभास है। उक्त साक्षी भी वादी मुंदर के सगे सम्बन्धी होने के कारण हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आते है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है।

33— इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी **पी0डब्लू0—2 मांगेराम** की साक्ष्य का अवलोकन किया। इस साक्षी ने **पी0डब्लू0—2 मांगेराम** ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, **वह हाजिर अदालत मुलजिमान पूनम व सीटू को जानता है। धर्मसिंह को भी जानता है। धर्मसिंह**

की मृत्यु हो चुकी है। वह वादी मुंदर तथा उसकी पुत्री/मृतका को भी जानता है। घटना के समय मृतका की उम्र 09 साल रही होगी वह कक्षा 5 की छात्रा थी। **मुलजिमान, वादी मुकदमा तथा उसका मकान आस पास हैं। उसने घटना की दिनांक 04–03–2012 को सुबह के 11:00 बजे जब वह न्यार लेकर आ रहा था, लड़की को खेलते हुए देखा था। जिसका पता उसे तीन–साढ़े तीन बजे लग गया था।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, **उसने लड़की के गायब होने से पहले धर्मसिंह के मकान के सामने मारूति वैन खड़ी देखी थी। वैन के पास उसने अनिल व सीटू को देखा था परन्तु जब वह शाम को छः – सवा छः बजे वापिस दूध लेकर डेरी पर जा रहा था तब वहॉ कुछ भी नहीं था।** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **लड़की के गायब होने का पता उसे चार तारीख को ही लग गया था।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **जब छः तारीख को लड़की को ज्यादा तलाश किया तब मुन्दर को पूनम ने आकर बताया कि उसकी लड़की चाय बिस्कुट खा रही है ठीक है। वह सीटू का नाम ले दो तो सीटू सारी बात अपने आप बता देगा और यह बात भी पूनम ने ही बतायी थी कि लड़की सीटू के पास है, परन्तु इस साक्षी ने गांव में हुई पंचायत में अभियुक्ता पूनम द्वारा उक्त कथन से नाटने अर्थात् इन्कार करने का कथन किया है।** प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, **मुंदर उसका सगा चाचा है परन्तु उसके घर से मुंदर व धर्मसिंह दोनेां के घर दिखायी नहीं देते।** साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि, **उसकी मवाना में वैल्डिंग की दुकान है। वह सुबह ग्यारह–साढ़े ग्यारह बजे दुकान खोलता है और पॉच बजे बंद कर देता है। वह दूध का काम भी करता है। घटना के समय उसके पास 7–8 जानवर थे। वह वैल्डिंग की दुकान बंद नहीं करता था कोई जरूरी काम होने पर छुट्टी करता था।** परन्तु इस साक्षी ने जिरह के दौरान स्वंय ही यह स्वीकार किया है कि, **दिनांक 04–03–2012 को घटना वाले दिन गांव में उसे कोई काम नहीं था और न ही कोई फंक्शन था।**

34– **इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–4 रकमसिंह** ने भी यह बयान दिया है कि, वह दिनांक 04–03–2012 को अपने घर पर था। मुंदर व उसकी पत्नी बच्चों को कपड़ा दिलाने मवाना गये थे। **दो बजे के आस पास गये थे। उसकी लड़की घर के पस खेल रही थी। जब वह घर से खेतों की तरफ गया तो धर्मसिंह के घर के बाहर अनिल, सीटू मारूति वैन गाड़ी के साथ मिले थे और जब वह खेत से चार–साढ़े चार बजे वापिस आया तो अनिल वगैरहा व मारूति वैन नहीं मिली। शाम को ढूंढ मची कि लड़की नहीं मिल रही।** वह भी मुंदर और उसकी घरवाली और बहुत से लोगों के साथ था। **उन्हें विशाल ने बताया था कि लड़की धर्मसिंह के घर की तरफ गयी थी। फिर वे धर्मसिंह के घर गये जहॉ धर्मसिंह व उसकी घरवाली पूनम मिली। जिसने उन्हें बताया कि लड़की उनके यहॉ नहीं आयी।** यह भी बयान दिया है कि, **दो दिन बाद 06–03–2012 को पूनम ने बताया कि लड़की उनके यहॉ आयी थी जिसे सीटू व अनिल अपने साथ ले गये। दिनांक 12–03–2012 को लड़की की लाश गांव के कुएॅ में मिली। उसे शक है**

कि अनिल और सीटू ने पूनम के साथ मिल लड़की की हत्या की है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया कि, **मुंदर उसका चाचा लगता है। परिवार से चाचा लगता है। भीड़वाड़ा में उसके पास खेती की जमीन नहीं है उसके पिता जी का दिया हुआ मकान है। वह मेरठ में घर पर ही सिलाई का काम करता है पैंट शर्ट सीने का काम करता है। भीड़वाड़ा में उसके पिताजी, माता जी, भाई भाभी और उसके बच्चे रहते हैं। उसका घर मुंदर के पास मेन रास्ते में है तीन मकान बीच में हैं।** परन्तु दौरान प्रतिपरीक्षा इस साक्षी ने यहस्वीकार किया कि, **जब मुंदर और उसकी पत्नी मवाना गये थे तब वह अपनी लड़की की देखभाल के लिये कहकर नहीं गये थे न ही लड़की के बारे में कहकर गये थे और न ही उसे बताकर मवाना गये थे।** यह भी स्वीकार किया है कि, **वह अपने घर से खेतों की तरफ एक–डेढ़ बजे गया था। वह घर से सीधा खेतों की तरफ गया था। जब वह घर से खेतों की तरफ गया था तब उसे धर्मसिंह के घर के सामने सीटू, अनिल और वैन गाड़ी रास्ते में मिली थी और कोई गांव का व्यक्ति नहीं मिला था। जब वह खेतों पर जायेंगे तो धर्मसिंह का घर रास्ते में पड़ता हैं।** यह भी स्वीकार किया कि, **उसे लड़की के गुम होने का पता अंधेरा होने के बाद चला था। लड़की को मुंदर व उसके परिवार के लोग ढूंढ रहे थे। उनके परिवार के लोगों ने उसे बताया था कि लड़की गुम हो गयी है।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **घटना के समय उसके पास मोबाईल नहीं था वह दो बजे जाने की बात अंदाजे से बता रहा है।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **वह अनिल और सीटू को गांव में रहने के कारण जानता है। वे उससे उम्र में बड़े हैं। उस दिन उनसे उसकी दुआ सलाम नहीं हुई थी और न ही उसने लड़की को रास्ते में खेलते हुए देखा था।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **अनिल के पास एक कार थी किसके नाम पर थी और उसका नम्बर क्या था वह नहीं बता सकता।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, **वह अदालत में पहले भी और आज भी मुन्दर के कहने से आया है और उसी के कहने पर गवाही दे रहा है।** इस प्रकार उपरोक्त दोनों गवाहान पी0डब्लू0–2 मांगेराम व पी0डब्लू0–4 रकमसिंह के बयानों में परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है। उक्त दोनों साक्षीगण वादी मुकदमा मुंदर के रिश्तेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी होना प्रकट होता है।

35– जहॉ तक घटनास्थल का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा **नजरी प्रदर्श क–13** के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, उक्त नक्शा नजरी में विवेचक द्वारा कॉस के चिन्ह से मृतका के खेलने का स्थान दर्शित किया गया है उक्त स्थान को चौराहे के रूप में दर्शाया गया है जिसके उत्तर–पूरव की ओर मकान कान्ति पुत्र भोला तथा पश्चिम उत्तर की ओर से जगह छोड़कर मकान धर्मसिंह तथा दक्षिण पूरव में कमलसिंह का मकान और दक्षिण उत्तर की ओर कृष्णपाल का मकान दर्शाया गया है। नक्शा नजरी में ए अक्षर से वादी मुंदर का मकान तथा बी अक्षर से धर्मसिंह का मकान दर्शाया गया है। परन्तु नक्शा नजरी में ऐसा कोई चिन्ह अथवा अक्षर अंकित नहीं किया गया है कि मृतका जिस स्थान कॉस पर

खेल रही थी वहॉ से वह किस तरफ गयी थी, मृतका के धर्मसिंह के मकान की तरफ जाने का कोई चिन्ह नक्शा नजरी में अंकित नहीं किया गया हैं। इसके अतिरिक्त मृतका के खेलने के स्थान क्रॉस के पास पश्चिम उत्तर की ओर जो मकान दर्शित किये गये हैं वह किसके हैं, वह मकान है अथवा दुकान है या कोई खाली जगह है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि वादी मुकदमा **मुंदर पी0डब्लू0—1** द्वारा मृतका को तिराहे पर खेलने का कथन किया गया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी में ऐसा कोई तिराहा विवेचक द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। जबकि **पी0डब्लू0—10 सोमवीर सिंह विवेचक द्वारा अपने बयानों में वादी की निशानेदही पर, घटना स्थल का निरीक्षण किर नक्शा नजरी प्रदर्श क—13 तैयार किया जाना स्वीकार किया है।** इस प्रकार विवेचक द्वारा बनाया गया **नक्शा नजरी प्रदर्श क—13 तथा वादी मुकदमा पी0डब्लू0—1 के बयानों से तथाकथ्ति घटनास्थल संदिग हो जाता है।**

36— बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, जिस स्थान से मृतका का शव बरामद होना बताया गया है उस स्थान का कोई नक्शा नजरी नहीं बनाया गया है और शव बरामद होने के सम्बन्ध में जिन साक्षीगण की साक्ष्य अंकित की गयी है उन सभी साक्षियों के बयानों में आपस में विरोधाभास हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। **पी0डब्लू0—1 मुंदर जो मृतका का पिता है**, के द्वारा यह बयान दिया गया है कि **जब उसे लड़की का शव बरामद होने की सूचना फोन से मिली तो वह काफी सारे लोग इकट्ठा होकर करीब फोन के एक डेढ़ घंटा बाद कुएॅ पर पहुॅचे थे —— फिर कहा कि जब पुलिस ने लाश निकाली थी तब कुएॅ पर पहुॅचे थे तथा पहचान की थी।** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **बरामदगी के समय लड़की ने सूट पहन रखा था सलवार निकली हुई थी।** वहीं दूसरी ओर इस साक्षी ने बयान दिया कि, **वह फोन आने के बाद सीधा थाने चला गया था। उसके साथ उसका साला सुरेन्द्र, धर्मपाल व मांगे था। उनसे पहले पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुॅच गये थे। वे भी 10—15 मिनट बाद थाने से घटनास्थल को चल दिये थे। उसके घरवालों ने लड़की को पहचान लिया था। वह सीधा बरामदगी स्थल पर नहीं गया था अपितु रिपोर्ट लिखाने थाने गया था और जब घटनास्थल पर पहुॅचा तब तक उसके परिजनों द्वारा मृतका की शिनाख्त उसकी पुत्री के रूप में की जा चुकी थी।** यह भी बयान दिया गया कि, **जिस जगह से उसकी बेटी की लाश मिली थी वह जगह उसके घर से 20—25 मीटर दूर है दो —तीन मकान बीच में होंगे। उनके गांव के प्रधान की ट्यूवबैल भी उससे मिली हुई है।** यह भी स्वीकार किया कि, **जिस कुएॅ से उसकी बेटी की लाश बरामद हुई थी उस कुएॅ से लोग पानी नहीं लेते हैं। यह कुऑ पिछले काफी समय से बंद है। कुएॅ की गहराई 6—7 फिट रही होगी। जहॉ लड़की लाश मिली वहॉ आबादी है। लड़की की लाश विनोद हरिजन व उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने देखी थी।** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0—2 मांगेराम** ने यह स्वीकार किया है कि, **जब ल़डकी की लाश मिली थी तब वह गांव में नहीं था बाहर था। घटना**

वाले दिन वह एस0एस0पी0 साहब के यहाँ आये हुए थे जहाँ लड़की की लाश मिलने की सूचना मिली थी। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, **एस0एस0पी0साहब के यहाँ वह, मुंदर और ओमी आये थे। दिन के बारह–साढ़े बारह बजे लड़की की बरामदगी के लिये आये थे। उन्हें डेढ़ बजे लाश का पता चला था तो वह वापिस गांव चले गये थे।** यह भी बयान दिया कि, **वह कप्तान साहब के यहाँ से सीधे थाने गये थे वह थाने के बाहर था अंदर केवल मुंदर गया था।** साक्षी ने जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया कि, **जिस दिन लड़की की लाश मिली थी वह उस दिन गांव में नहीं आया था बल्कि गांव वाले उसकी दुकान पर आये थे जहाँ से वह सीधे थाने गया था। यह बात शाम के पाँच–साढ़े पाँच बजे की है।** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–3 राजकुमार** ने यह बयान दिया है कि, **उसे नहीं पता कि लड़की की डैड बॉडी को पहले किसने देखा था वह घटनास्थल पर बाद में आया था।** इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षत साक्षी **पी0डब्लू0–4 रकमसिंह** ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि, **उसने लाश देखी थी। जब वह ढूंढते हुए कुएँ के पास पहुँचे तो लड़की की लाश कुएँ के बाहर रखी थी। वहाँ काफी भीड़ थी। कुएँ में थोड़ा पानी था। लड़की की लाश उसने दोपहर के समय देखी थी। उस समय गांव के आदमी थे पुलिस बाद में आयी थी। जब उसने लाश देखी थी तो लाश काफी फूली हुई थी।** जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–8 राजपाल सिंह,** जिनके द्वारा मुकदमे में विवेचना की गयी है, **ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि, घटनास्थल मृतका के शव बरामद होने वाले स्थान का नक्शा नहीं बनाया था केवल निरीक्षण किया था।** यह स्वीकार किया है कि, **खेत में कुँआ है परन्तु वह कुएँ की लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकते। कुआँ किस चीज का बना था उन्हें यह भी नहीं पता। वह कुएँ की गहराई नहीं बता सकते।** परन्तु इस साक्षी ने दौरान जिरह यह भी स्वीकार किया है कि, **वह कुआँ जिससे लड़की का शव बरामद हुआ था पानी पीने के लिये उपयोग होता था। कुआँ किस प्राईवेट व्यक्ति का था वह नहीं बता सकते।** इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–9 धर्मेन्द्र कुमार निरीक्षक** जिनके द्वारा मृतका के शव का पंचायतनामा भरा गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था, ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि, **जब वह गांव में पश्चिम दिशा स्थित कुएँ पर पहुँचे तो वहाँ मृतका की लाश एक प्लास्टिक के कट्टे में बंद पड़ी थी। कुएँ में पानी था। कट्टे को निकलवाया गया जिसे खोलने पर वहाँ उपस्थित परिजनों ने शव की शिनाख्त की और उसकी पहचान वादी मुंदर की पुत्री के रूप में की।** इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि, **उस कुएँ की गहराई 25–30 फिट होगी उसमें कुछ पानी था। उसने बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया था परन्तु यदि उक्त नक्शा पत्रावली पर नहीं है तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता।** इसी प्रकार **पी0डब्लू0–10 सोमवीर सिंह विवेचक** द्वारा भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि, **दिनांक 11/12–03–2012 की रात को मृतका के चाचा के लड़के ब्रहमपाल से पुलिस ने पूछताछ की थी तो उसने अभियुक्त अनिल द्वारा मृतका की लाश को छिपाने के स्थान से लाकर गांव के**

पास कुएॅ में डालना बताया। दिनांक 12–03–2012 को मृतका की लाश ब्रहमपाल के घर से थोड़ी दूर हरिजन लोगों के मकान के पास स्थित कुएॅ से बरामद हुई थी। पी0डब्लू0–2 मांगेराम की साक्ष्य के अनुसार वह बरामदगी के समय मौके पर मौजूद नहीं था।

37– इस प्रकार मृतका का शव बरामद होने के स्थान के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा बनाया गया नक्शा नजरी पत्रावली पर उपलब्ध न होने से विवेचक द्वारा दौरान विवेचना की गयी लापरवाही शक के दायरे में आती है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि मृतका का शव वास्तव में उक्त कुॅए से ही बरामद हुआ हो। कुएॅ की गहराई के सम्बन्ध में भी वादी मुकदमा मुंदर पी0डब्लू0–1 **तथा लड़की का शव बरामद कराने वाले साक्षी पी0डब्लू0–09 धर्मेन्द्र कुमार निरीक्षक के बयानों में भी विरोधाभास है वादी के अनुसार कुएॅ की गहराई 6–7 फिट तथा निरीक्षक के अनुसार कुए की गहराई 25–30 फिट होना बताया गया है। विवेचक के अनुसार कुएॅ की गहराई यदि 25–30 फिट थी और उसमें कुछ पानी भी था तब ऐसी स्थिति में कुएॅ में पड़ा हुआ बोरे में बंद शव दिखायी नहीं दे सकता था केवल दुर्गंध आने पर ही इस बात की पुष्टि हो सकती थी कि कुएॅ में कोई मृत व्यक्ति अथवा जानवर पड़ा हो। परन्तु शव बरामद होने के स्थान पर वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 मुंदर के अतिरिक्त अन्य किसी परीक्षित कराये गये साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि मृतका के शव के बरामदगी स्थल पर किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही थी।**

38– बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब मृतका का शव बरामद हुआ था तब मृतका द्वारा पहने कपड़ों के समबन्ध में भी गवाहान के बयानों में विरोधाभास है जिससे उक्त गवाहान की मौजूदगी शव के बरामदगी स्थल पर संदिग्ध हो जाती है। इस सम्बन्ध में बरामदगी सिलि के गवाहान के बयानों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि, वादी मुकदमा **मुंदर पी0डब्लू0–1 ने लड़की का शव बरामद होने के समय मृतका द्वारा सूट पहनना स्वीकार किया है और सलवार निकली हुई होने का कथन किया गया है,** जबकि **पी0डब्लू0–3 राजकुमार ने मृतका के शव की बरामदगी के समय उसके शरीर पर एक निककर व फ्रॅाक होने का कथन किया है। पी0डब्लू0–4 रकमसिंह के अनुसार मृतका के शव पर नीचे कोई कपड़ा नहीं था उपर एक कुर्ता था।** परन्तु उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त उक्त साक्षी **पी0डब्लू0–9 निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार** जिनके द्वारा मृतका के शव का पंचायतनामा भरा गया था और मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया था, के अनुसार, **जब मृतका का शव बरामद हुआ था उस समय उसके शरीर पर एक नीले रंग का कुर्ता, लाल रंग की जर्सी और कत्थई रंग की शाल थी।** मृतका का शव विच्छेदन करने वाले साक्षी **पी0डब्लू0–6 डा0 संजीव कुमार** के अनुसार **पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर एक सलवार, एक कुर्ता, एक पेटीकोट, एक जर्सी, एक दुपट्ट था। हाथ में काला धागा बंधा हुआ था। सलवार, कुर्ता व जर्सी पहनी हुई थी।** पत्रालवी पर उपलब्ध **पंचायतनामा प्रदर्श क–6 में**

भी **मृतका के शरीर पर नीले रंग का कुर्ता, लाल रंग की जर्सी, कत्थई रंग की शाल पड़ी होना** अंकित किया गया है। इस प्रकार यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि मृतका के शव की बरामदगी के समय उसके निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था और उपर एक कुर्ता मात्र था तब पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर सलवार, जर्सी, पेटीकोट तथा दुपट्टा कहॉ से आ गया इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि, **बरामदगी तथा पोस्टमार्टम के समय मृतका द्वारा पहने गये कपड़ों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विवेचक द्वारा उनकी कोई फर्द मौके पर बनायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर सलवार, कुर्ता, जर्सी बाजू सहित, पेटीकोट, दुपट्टा, चमड़े की वैल्ट तथा हाथ में बंधा हुआ काला धागा कुल सात अदद बरामद होना अंकित किया गया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर भी बचाव पक्ष के कथन को बल मिलता है।**

39– जहॉ तक धारा 376/511 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षी **पी0डब्लू0–6 संजीव कुमार** द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि, **पोस्टमार्टम के समय मृतका के जननांग पर कोई चोट का निशान नहीं था परन्तु शुक्राणु परीक्षण हेतु उनके द्वारा मृतका के जननांग से स्त्राव लेकर स्लाईड तैयार की गयी थी जिन्हें परीक्षण हेतु प्यारेलाल शर्मा अस्पताल के पैथोलोजी विभाग को भेजा गया था।** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, **मृतका के जननांग से लिये गये स्त्राव की स्लाईड तैयार करने के सम्बन्ध में तथा पी0एल0 शर्मा अस्पताल भेजे जाने के सम्बन्ध में कोई रैफर स्लिप पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही उक्त स्लाईड की कोई जॉच आख्या ही अभियोजन की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।** यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि, **चिकित्सक की राय में मृतका की मृत्यु दम घुटने से होना बतायी गयी है।** चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य के अनुसार, **मृतका के जननांग पर कोई चोट न होना उसके साथ बलात्संग के प्रयास को दर्शित नहीं करता है।** चिकित्सक साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि, **शव विच्छेदन के समय मृतका के शरीर पर गले पर एक लिगेचर मार्क पाया गया था उसके अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी चोट होना भी नहीं पाया गया।**

40– यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि, पी0डब्लू0–1 मुंदर द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि, **उसके सगे भतीजे ब्रहमपाल को पुलिस उसकी लड़की के सम्बन्ध में 11–03–2012 को रात में 11–12 बजे ले गयी थी और दिनांक 12–03–2012 को लाश मिलने के बाद उसे छोड़ दिया था पुलिस ने उसकी पिटाई भी की थी।** इसी प्रकार का साक्ष्य **पी0डब्लू0–2 मांगेराम** द्वारा भी दिया गया है कि, **जब वह थाने गये थे तो मुंदर के चाचा का लड़का ब्रहमपाल थाने में बंद था। जिसे लाश मिलने के बाद पुलिस ने छोड़ा था।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **मुंदर तथा पूनम के घर से लगा हुआ मकान**

ब्रहमपाल का है, ब्रहमपाल मुंदर का भतीजा है। ब्रहमाल ने घटना के दो या तीन साल बाद घटना की जगह छोड़ दी थी। उसके बाद वह गांव में वापिस रहने नहीं आया। घटना के समय ब्रहमपाल के कोई बच्चा नहीं था और आज भी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–4 रकमसिंह** ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि, **ब्रहमपाल कई दिन थाने में बंद रहा था। ब्रहमपाल थाने से उसी दिन छूटा था जिस दिन लड़की की लाश मिली थी।** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–10 सोमवीर सिंह/विवेचक** ने यह बयान दिया है कि, **केस डायरी के पर्चा सैकेंड में तीसरे पेज पर मृतकर की मॉ श्रीमती मुन्नी का बयान अंकित किया है कि, " दिनांक 11–03–2012 की रात को पूनम व उसके पति द्वारा उसके भतीजे ब्रहमपाल पर शक दर्शाते हुए पुलिस को पकड़वा दिया था और अगले दिन 12–03–2012 को उसकी लड़की की लाश उनके घर से थोड़ी सी दूर हरिजन लोगों के मकान के पास स्थित पानी के कुऍं से मिली।"** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया गया है कि, **दिनांक 11/12–03–2012 की रात को मृतका के चाचा के लड़के ब्रहमपाल से पुलिस ने पूछताछ की थी तो उसने अभियुक्त अनिल द्वारा मृतका की लाश को छिपाने के स्थान से लाकर गांव के पास कुऍं में डालना बताया था।** परन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने ब्रहमपाल से पूछताछ किये जाने से इन्कार किया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, **उक्त ब्रहमपाल को उनके द्वारा न तो मुलजिम बनाया गया है और न ही गवाह बनाया गया है।** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **घटना में प्रयुक्त गाड़ी जिसके द्वारा अपहर्ता को ले जाने और उसकी हत्या करने के बाद शव को हत्या का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से ले जाकर कुऍं में डालना बताया गया है, वह गाड़ी दौरान विवेचना बरामद नहीं की गयी है और न ही उनके द्वारा आर0टी0ओ0 से यह आख्या तलब की गयी कि उक्त गाड़ी वास्तव में अभियुक्त अनिल के नाम थी या किसी अन्य के नाम। उनके द्वारा गाड़ी के नम्बर की भी कोई जॉच दौरान विवेचना नहीं की गयी।**

41– प्रस्तुत प्रकरण में **स्वतन्त्र साक्षी विशाल,** जिसके द्वारा वादी मुंदर पी0डब्लू0–1 को यह बताया गया था कि, **उसकी लड़की खेलते हुए धर्मसिंह के घर की तरफ गयी थी, को परीक्षित नहीं कराया गया है।** अभियोजन की ओर से **स्वतन्त्र साक्षी संजीव पुत्र केशोराम** जिसके द्वारा वादी मुंदर पी0डब्लू0–1 को दोपहर करीब डेढ़ बजे फोन से उसकी लड़की की लाश के बारे में बताया गया था, को भी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। **जबकि उक्त दोनों ही साक्षी इस मामले के महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे।** विधि व्यवस्था **हेमराज तथा अन्य प्रति हरियाणा राज्य 2005 (52) ए0सी0आर0 पृष्ठ 258 (सुप्रीम कोर्ट)** के मामले में यह पाया गया था कि स्वतन्त्र साक्षीगण के उपलब्ध होने के बावजूद अभियोजन की ओर से उन्हें साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया हो और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण दिया गया हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अभियोजन कथानक में एक गम्भीर कमी के रूप में लिया गया और मामले की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया गया।

42– वर्तमान मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने का कथन करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **कि0 अपील नम्बर (एस). 821/2012 लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लक्ष्मण बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश** की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को सभी कड़ियॉ पूर्ण करनी होंगी जो परस्पर एक दूसरे को समर्थित करती हों, जिसमें घटना का उद्देश्य, अभियुक्त और मृतक को मृत्यु से पूर्व अन्तिम बार एक साथ देखे जाने वाले साक्षी, अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी को साबित करना अभियोजन के लिये आवश्यक है। वर्तमान घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और न ही ऐसा कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है जिसने मृतका को अन्तिम बार अभियुक्तगण के साथ जाते या अभियुक्तगण द्वारा मृतका को ले जाते, अथवा कहीं बैठे या बातचीत करते देखा हो। यद्यपि वर्तमान मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य के जिन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। उनके द्वारा घटना से पूर्व मृतका को किसी भी अभियुक्त के साथ जाते हुए देखने का कथन नहीं किया गया है। अपितु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है उनके द्वारा मृतका को अभियुक्तगण के साथ जाते नहीं देखा गया न ही उनके द्वारा मृतका की हत्या कर उसकी लाश कुएॅ में डालते देखा गया था।

43– अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। उक्त परीक्षित सभी साक्षीगण वादी मुंदर के रिश्तेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आते हैं। विधि व्यवस्था **संदीप बनाम हरियाणा राज्य 2001 एस.सी. 1103** में यह मत व्यक्त किया गया कि जहां पर गवाह मृतक व अभियुक्त दोनों को जानता है तो उसकी गवाही महत्वपूर्ण होती है। उसकी गवाही को इस आधार पर कि वह इच्छुक साक्षी है खण्डित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्थापित है कि, न्यायालय को इच्छुक साक्षी की गवाही या रिश्तेदार साक्षी की गवाही को पढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि गवाह की उपस्थिति नैसर्गिक है या नहीं। उसकी गवाही की अन्य साक्ष्य से संपुष्ट हो रही है या नहीं। यदि उसकी साख संदेहजनक नहीं है तो मृतक का रिश्तेदार होना या हितबद्ध साक्षी होने मात्र के आधार पर उसकी गवाही को खण्डित नहीं किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में पूर्णतया अस सफल रहा है कि घटना स्थल पर उक्त साक्षीगण की उपस्थिति नैसर्गिक थी।

44– वर्तमान मामले में मृतका की हत्या का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और न ही किसी भी साक्षी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मृतका को अभियुक्तगण धर्मसिंह, पूनम, अनिल व सीटू के साथ अन्तिम बार कहीं देखा गया है। अभियोजन की ओर से तथ्य के जो साक्षी

परीक्षित कराये गये है। उनमें साक्षी पी0 डबलू0–2 मांगेराम वादी मुकदमा मुंदर का सगा भतीजा है। पी0डब्लू0–3 राजकुमार वादी मुंदर के सगे बाबा का लड़का है और वादी मुंदर साक्षी राजकुमार का सगा चाचा है। पी0डब्लू0–4 रकमसिंह का वादी मुंदर चाचा है तथा साक्षी पी0डब्लू0–7 सुरेन्द्र कुमार वादी मुकदमा का सगा साला है। गवाहान पी0डब्लू0–3 राजकुमार तथा पी0डब्लू0–7 सुरेन्द्र कुमार द्वारा जो क्रमशः वादी का सगा भतीजा और सगा साला है, ने अपने सामने घटना के बाद मृतका का शव बरामद होने से पूर्व अभियुक्तगण धर्मपाल, अनिल तथा सीटू द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृत साक्ष्य देते हुए अपना जुर्म स्वीकार करना बताया गया है परन्तु उक्त साक्षी भी हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में ही आते हैं, जिनकी साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि **उक्त साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा जुर्म स्वीकार करने के उपरान्त कोई सूचना सम्बन्धित थाने को नहीं दी गयी थी और न ही अभियुक्तगण को पकड़ने का कोई प्रयास ही किया गया है**। यहॉ तक कि, यह साक्षी **अभियुक्तगण द्वारा की गयी संस्वीकृति की कोई तिथि बताने में भी असमर्थ रहे हैं। उक्त साक्षीगण को जिस गाड़ी के पास खड़े होकर अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था उसका नम्बर भी बताने में साक्षीगण असमर्थ रहे हैं।** ऐसी स्थिति में साक्षीगण का उक्त बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तगण द्वारा गवाह के सामने की गयी न्यायिकेतर जुर्म स्वीकारोक्ति, अभियुक्तगण को दण्डित करने के लिये पर्याप्त नहीं मानी जा सकती जैसा कि उपर्युक्त वर्णित विधि व्यवस्था **निखिल चन्द्र मण्डल बनाम स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल ए.आई.आर. 2023 (एस.सी.) 1323** में प्रतिपादित किया गया है।

43– पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ कि, वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 मुंदर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अभियुक्ता पूनम द्वारा बताने के आधार पर दर्ज करायी गयी है जबकि अभियुक्ता पूनम पत्नी धर्मसिंह द्वारा यह बताना कि, ''उसकी लड़की को सीटू पुत्र मानसिंह लेकर गया था उसके पति को मत बताना ताकि उसका पति उसके साथ मारपीट न करे और बाकी बात सीटू बतायेगा।'' यह असम्भव प्रतीत होता है कि पूनम जो कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वंय अभियुक्त है और उसका पति धर्मसिंह भी प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त है तो वह किस प्रकार स्वंय के और अपने पति के विरूद्ध वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को जुर्म सम्बन्धी कोई बात क्यों बताती। वादी अथवा अन्य किसी भी साक्षी द्वारा अपनी पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा ले जाते, हत्या करते अथवा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से कुऍ में शव को बोरी में बंद कर डालते नहीं देखा गया था। इस साक्षी ने एक तरफ तो घटना के कुछ दिन बाद गवाहान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्तगण धर्मपाल, अनिल तथा सीटू द्वारा उसकी पुत्री की हत्या किये जाने का कथन किया है और दूसरी ओर अपने व अन्य रिश्तेदारों के सामने अभियुक्ता पूनम द्वारा साक्ष्य देना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा की गवाहान पी0डब्लू0–3 राजकुमार तथा

पी0डब्लू0–7 सुरेन्द्र कुमार के समक्ष की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति की बात किस तारीख को बतायी गयी साक्षीगण द्वारा वह तारीख भी नहीं बतायी। साक्षीगण ने अभियुक्तगण अनिल व सीटू को धर्मसिंह के घर शराब पीना बताया और यह भी बताया कि अभियुक्तगण धर्मसिंह व पूनम अपने घर में दारू बेचते थे, **परन्तु ये बात उनके द्वारा किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बतायी थी।**

44– अभियुक्त अनिल की ओर से सफाई साक्ष्य में **डी0डब्लू0–1 गुड्डी** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने बयान दिया है कि, वह हाजिर अदालत मुलजिम अनिल को जानती है। वह उसके गांव का है। **उसे बच्ची की हत्या के बारे में जानकारी है। वह उस समय ग्राम प्रधान भिंडवारा थी। होली के समय 04–03–2012 को उसे गांव में जानकारी मिली थी। जब वह मृतका के घरवालों के पास पहुँची तब उस समय मृतका के घरवाले व अन्य लोग मृतका के घर के बाहर खड़े थे। पूछने पर लोगों ने बताया कि, ब्रहमपाल व उसकी पत्नी तंत्र विद्या करते हैं बिटौड़े में कभी आग लगा देते है। बच्ची उनकी जानकारी में ही है।** साक्षी ने यह भी बयान दिया कि, **उसके बाद पुलिस ने ब्रहमपाल को गिरफ्तार कर लिया था। करीब तीन या चार दिन बाद पुलिस गांव आयी तो ब्रहमपाल तांगा छोड़कर भागा था परन्तु पुलिस ने ब्रहमपाल को 11–03–2012 को पकड़ लिया था और पुलिस द्वारा ब्रहमपाल को पकड़ने के अगले दिन 12–03–2012 को बच्ची की बॉडी मिल गयी थी।** इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि, **जो बात वहॉ घटनास्थल पर सब कह रहे थे वही बात उसने न्यायालय में बतायी है। उसे जो भी जानकारी हुई थी वह गांव वालों की बातचीत से हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मृतका को मरने से पहले कभी नहीं देखा था। जब वह घटना का पता करने गयी थी तो ब्रहमपाल के घर के बाहर ही भीड़ लगी थी। अनिल और ब्रहमपाल के घर दूर दूर हैं। गांव में लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अनिल को लोग फंसा रहे हैं।**

45– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विधि व्यवस्था कली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1973 (सुप्रीम कोर्ट) 2773** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि न्याय का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि अभियुक्त को निर्दोष होने की अवधारणा तब तक की जाये जब तक कि अभियोजन द्वारा उपरोक्त अवधारणा को साक्ष्य के माध्यम से खण्डित न कर दिया जावे।

46– वर्तमान मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध हत्या का अपराध साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जैसा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **बाबू राम आदि बनाम पंजाब राज्य (2008) 2 एस0सी0सी0 किमिनल 727** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि, अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध, अभियोजन कथानक संदेह से परे सिद्ध करना होगा, अन्यथा की दशा में अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाने के अधिकारी

होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त अपराध को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है जिस पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जा सके। अतः इस प्रकार की कोई भी घटना जिसमें अभियुक्तगण धर्मपाल, पूनम, अनिल व सीटू ने षड़यन्त्र के तहत वादी मुकदमा मुंदर की नाबालिग पुत्री का अपहरण किया हो और उसके साथ बलात्संग का प्रयास किया गया हो जिसमें विफल होने पर उसकी हत्या करके, हत्या का साक्ष्य छिपाने की मंशा से मृतका के शव को बोरे में बांधकर कुएॅ में डाल दिया गया हो, साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया विफल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रंग बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में AIR 2000 SC 1209** में यह अवधारित किया गया है कि जब तक अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं करता है तब तक अभियुक्तगण को दोषसि़द्ध नहीं किया जा सकता। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में मृतक के अपहरण करने तथा हत्या करने के सम्बन्ध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियॉ एक दूसरे का समर्थन करती हुई प्रतीत नहीं होती हैं।

47— पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि, अभियोजन पक्ष प्राथमिकी में दर्शित उपरोक्त घटना को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। तदनुसार अवधार्य प्रश्न संख्या—1 का उत्तर अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

48— **<u>—: निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या—2 :—</u>**

अवधार्य प्रश्न संख्या—1 का उत्तर अभियुक्तगण के विरूद्ध नकारात्मक निर्णीत हुआ है। अतः अभियुक्तगण को किसी प्रकार का कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता। तदनुसार संदेह का लाभ पाते हुए अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त धर्मसिंह की मृत्यु पूर्व में हो जाने के कारण उसके विरूद्ध इस सत्र परीक्षण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

आदेश

1— अभियुक्ता श्रीमती पूनम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—376 सपठित धारा—120बी तथा 201 के अधीन लगाये गये दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

2— अभियुक्त सीटू उर्फ सुखपाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—364, 376

सपठित धारा–511, 302 तथा 201 के अधीन लगाये गये दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

3– अभियुक्त अनिल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–364, 376 सपठित धारा–511, 302 सपठित धारा 34, 201 तथा 120 बी के अधीन लगाये गये दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

4– अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंध पत्र तथा प्रतिभू पत्र निरस्त कर जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

5– अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पचास–पचास हजार रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू निर्णय की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6– निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–0592/2016 सरकार बनाम अनिल की पत्रावली पर रखी जावे।

दिनांकः 04–04–2025

(कल्पना चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय,
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांकः 04–04–2025

(कल्पना चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय,
मेरठ।

This is uncertified copy for information/ reference for authentic copy please to refer certified copy only.
Reeta Beri- Steno, Meerut.